नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.19 से 31.03.22

भाग–एक

1 **(क) प्रारम्भिक**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन (एल0ए0)–खण्ड–V दिनांक 16.10.08 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य निष्पादित किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान नियन्त्रण, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में निम्न प्रधान एवं सचिव कार्यरत्त रहेः–

(i) प्रधान

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति वीना ठाकुर	06.11.18 से 17.01.21 तक
2	श्री अनुज गुप्ता	18.01.21 से 31.03.22 तक

(ii) सचिव

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री विकास शुक्ला	05.01.19 से 25.03.21 तक
2	श्री अभिनव शर्मा	26.03.21 से 31.03.22 तक

(ख) गम्भीर अनियतिताओं का सारः–

नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन के अवधि 01.04.19 से 31.03.22 के लेखों का अंकेक्षण करने पर पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि (₹ लाखों में)
1.	अनुदान राशि उपयोग हेतु शेष	5.1	169.96
2.	अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित न करना	5.2	268.48

3.	दुकान पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि से अनियमित भुगतान	8.1	2.02
4.	दुकानों के किराए की बकाया वसूली हेतु शेष	9	2.45
5.	दुकान किराये के साथ जी0एस0टी0 की वसूली न किये जाने के कारण राजस्व हानि	9.4	1.94
6.	घर–घर से कूड़ा उठाने के User charges की बकाया वसूली हेतु शेष	10.1	4.01
7.	गृहकर की बकाया वसूली हेतु शेष	11.1	40.50
8.	पार्किंग काम्पलैक्स के निर्माण पर निष्फल व्यय किया जाना	17	27.51
9.	वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान	19.1	0.31
10.	निर्माण कार्यों के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न किये जाने के कारण राजस्व हानि	21.1	2.61
11.	निर्माण कार्यों के बिलों से काटकर एकत्रित श्रमकर का सम्बन्धित बोर्ड/श्रम विभाग को लम्बित भुगतान	21.3	1.5

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"1"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जोकि अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः नगर पंचायत द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर पंचायत अर्की के अवधि 01.04.19 से 31.03.22 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण अवधि 23.07.22 से 16.09.22 तक के दौरान श्री बृजेन्द्र मोहन पुरी, सहायक नियन्त्रक एवं

श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा नगर पंचायत अर्की स्थित कार्यालय में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए माह 11/19, 3/21 तथा 11/21 एवं व्यय के लिए 7/19, 5/20 तथा 3/22 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर पंचायत अर्की द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं के आधार पर किया गया है । अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत/अपूर्ण होने अथवा उपलब्ध ही न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा |

3 अंकेक्षण शुल्क

अवधि 01.04.19 से 31.03.22 तक के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण करने का शुल्क ₹59000 आंका गया जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को भेजने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14 दिनांक 16.09.2022 द्वारा सचिव, नगर पंचायत अर्की से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

नगर पंचायत अर्की के लेखों अवधि 01.04.19 से 31.03.22 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "2"** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

Financial Year	Accounting Head	Opening Balance	Income / Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
			(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
2019-20	Own Source	0.52	3162470.50	3162471.02	3100078	62393.02
	Grant	7519978.00	14964970.00	22484948.00	10986478.58	11498469.42
	Pension Fund	388172.00	144597.00	532769.00	0	532769.00
	Total	**7908150.52**	**18272037.50**	**26180188.02**	**14086556.58**	**12093631.44**
2020-21	Own Source	62393.02	4675616.00	4738009.02	3773935.00	964074.02
	Grant	11498469.42	20444977.00	31943446.42	20019521.75	11923924.67
	Pension Fund	532769.00	145703.00	678472.00	202290.00	476182.00
	Total	**12093631.44**	**25266296.00**	**37359927.44**	**23995746.75**	**13364180.69**
2021-22	Own Source	964074.02	7051486.00	8015560.02	4906123	3109437.02

	Grant	11923924.67	23968769.00	35892693.67	18896672.23	16996021.44
	Pension Fund	476182.00	133703.00	609885.00	0	609885.00
	Total	**13364180.69**	**31153958.00**	**44518138.69**	**23802795.23**	**20715343.46**

4.1 दिनांक 31.03.22 को हस्तगत राशि व बैंक खातों में जमा राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Name & Branch of Bank	Account No.	Head of Account	Balance as on 31.03.2022
PNB, Arki	6518000100012763	Gen	1152728.06
PNB, Arki	6518000100046487	CFC	2291797.00
PNB, Arki	6518000100042551	SBM	5600.00
PNB, Arki	6518000100045752	PMAY	1915.00
PNB, Arki	6518000100046353	Parking	6785763.00
PNB, Arki	6518000100045761	NULM	78.00
PNB, Arki	6518000100046362	Park	85984.00
UCO Bank, Arki	03920100009843	Gen	9024398.97
JCCB, Arki	100134001003752	Pension	609885.00
JCCB, Arki	100134001004625	Misc	84810.00
SBI, Arki	55136118262	ASSY	324664.32
HDFC, Kunihar	50100228105010	Map	572481.61
Post Office, Solan	239333		1523.50
PNB, Arki	6518000100047769	MMSAGY	1.00
Balance as per Pass Books (A)			**20941629.46**
Balance as per Cash Book in bank accounts (B)			**20715243.46**
Cash in hand (C)			**100.00**
Difference "A"- "{B+C}"			**226286.00**

4.2 बैंक समाधान विवरण 31-03-2022 (**परिशिष्ट "3"**):

Balance as per Pass Books as on 31.03.2022 "A"		**20941629.46**
Add		
1	DD No. 295136 dated 30.01.2017 received from Bharti Infratel Ltd. vide Receipt No. 50/0060 dated 27.04.2017 deposited in Bank but	6250.00

	no credit received	
2	Cash deposited by Sh. Neem Chand, Beldar in his GPF Account being refund of advance routed through office vide Receipt No. 27/90 dated 11.05.2020 and also reflected in his personal GPF Account in JCCB, Arki Bank No. 100134001006242 on 11.05.2020 (GPF ledger Page No. 169) but not routed out of Cash Book	15000.00
3	Cash deposited by Sh. Ramesh Chand in his GPF Account being refund of advance routed through office vide Receipt No. 96/105 dated 18.01.2021 and also reflected in his personal GPF AccountJCCB Bank Account No. 100134001006488 on 18.01.2021 (GPF ledger Page No. 270) but not routed out of Cash Book	42000.00
4	Cheque No. 399017 dated 22.03.2021 deposited into Bank but not credited deposited vide Receipt No. 113/0025 dated 22.03.2021 by Shri Sunil Kumar on account of two month Advance for Parking fees	60364.00
Sub Total-"B"		**₹123614.00**
Less		
1	Cheque No. 000203 dated 31.03.2022 issued but not encashed	350000.00
	Sub-total-"C"	350000.00
	Balance as per Cash Book "A"+"B"-"C"	**20715243.46**
Plus	**Cash-in hand**	**100.00**
	Total Balance as per Cash Book	**20715343.46**

4.2.1 उपरोक्त जमा की मद संख्या 1 व 4 के प्रसंग में सम्बंधित से आवश्यक वसूली कर तथा इन लंबित मदों का रोकड़ बही के अदायगी पक्ष में आवश्यक प्रविष्टि कर बैंक से समाधान के उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

4.2.2 उपरोक्त जमा की मद संख्या 2 व 3 का समायोजन / समाधान रोकड़ बही के अदायगी पक्ष में आवश्यक प्रविष्टि कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

4.2.3 बिना लेन–देन वाले बैंक बचत खातों को जारी रखने का औचित्य स्पष्ट न करना

उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि नगर पंचायत द्वारा जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक अर्की, के बचत खाता संख्या 100134001004625 (Old 4688) में कई वर्षों उपरान्त अंकेक्षण अवधि के दौरान मास दिसम्बर, 2020 में केवल भुगतान ₹516634 तथा ₹108150 किये गये है तथा इनके अतिरिक्त इस खाते में केवल छह माही ब्याज की प्रविष्ट ही दर्ज है तथा अन्य कोई भी वित्तीय लेन–देन नहीं हुआ है तथा इस बचत खाते में दिनांक 31.03.2022 को ₹84810 अन्तिम शेष जमा अनुपयुक्त पड़े थे, जिससे यह बचत खाता निष्क्रिय सा प्रतीत होता है। इसी प्रकार डाकघर बचत खाते में भी दिनांक 31.03.2022 को ₹1523.50 अन्तिम शेष जमा अनुपयुक्त पड़े थे जोकि पूर्व अंकेक्षण अवधि 01.04.2010 से 31.03.2015 से शेष चले आ रहे है तथा जिसमें न तो वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई वित्तीय लेन–देन हुआ है और न ही इस खाते की पास बुक को अद्यतन किया गया है, जिससे यह बचत खाता भी निष्क्रिय प्रतीत होता है। अतः इन बचत खातों को बिना/सीमित वित्तीय लेन–देन के जारी रखने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन खातों को बन्द करके जमा पड़ी अनुपयुक्त राशि को नगर पंचायत के अन्य बचत खाते में हस्तान्तरण करवाकर सदुपयोग करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

5 अनुदान

सचिव, नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "4"** सहपठित **परिशिष्ट "2"** के माध्यम से अंकेक्षण को अवधि 1.4.2019 से 31.03.2022 तक के दौरान अनुदान की प्राप्तियो एवं व्यय से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए विवरण का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5.1 अनुदान की ₹169.96 लाख उपयोग हेत शेष

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को वित्तीय स्थिति बारे **परिशिष्ट "2"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2022 को ₹16996021.44 की अनुदान राशि व्यय/उपयोग हेतु शेष थी। अतः अनुपयोग राशियों को निर्धारित समय के अन्दर सक्षम प्राधिकारी से उपयोग की समय बढ़ौतरी प्राप्त कर उन्हीं उद्देश्य हेतु खर्च किया जाना सुनिश्चित करें जिस

उद्देश्य हेतु इन्हें स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त इनके व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उचित समय के अन्दर सम्बन्धित संस्था को जारी करना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 ₹268.48 लाख के अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित न करना

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट "4"** के अन्तर्गत सभी सहायक परिशिष्ट मिलाकर तथा सहपठित **परिशिष्ट "2"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01.04.2019 से 31.03.2022 तक के दौरान **परिशिष्ट "2"** अनुसार ₹49902672.56 अनुदान से व्यय दर्शाया गया है जबकि **परिशिष्ट "4"** के अन्तर्गत सभी सहायक परिशिष्ट अनुसार इस अवधि के केवल ₹23054528.56 की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र ही सम्बन्धित संस्थाओं को प्रषित किए गए थे तथा इस प्रकार ₹26848144 की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित नहीं किए गए थे। अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में अनुदान से व्यय की गई राशियों की अंकेक्षण में सम्पूर्ण सत्यापना नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को अग्रेषित किए जाने सुनिश्चित किए जाने के साथ–साथ इनकी सत्यापना भी आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

5.3 अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2019 से 31.3.22 के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था अर्थात इसमें प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान में से किए गए व्यय का विस्तृत विवरण नहीं रखा गया था, जिसके अभाव में अनुदान से किए गए व्यय व तदानुसार जारी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अंकेक्षण में पूर्ण सत्यापना नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित किया जाए।

6 सावधि निवेश से प्राप्त हो सकने वाले अतिरिक्त ब्याज की हानि

गत अनुच्छेद 4.1 से स्पष्ट है कि ₹2,09,41,629.46 की एक बड़ी राशि बचत खातों में ही जमा रखी गई थी। इस राशि में से यदि सामयिक आवश्यकता की राशि के अतिरिक्त उपलब्ध राशि को एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि बैंक सावधि योजनाओं में निवेश किया जाता तो इस राशि पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती थी, परन्तु नगर पंचायत द्वारा इसे केवल बैंक बचत खातों में रखने के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय से वंचित

होना पड़ा है, जोकि समुचित वित्तीय प्रबन्धन के अभाव को परिलक्षित करता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सामयिक आवश्यकताओं हेतु समुचित राशि को बचत खाते में छोड़कर उपलब्ध शेष राशि कोएक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि बैंक सावधि योजनाओं में निवेशित करना सुनिश्चित किया जाए ताकि नगर पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

7 गत तीन वर्षों से सम्बन्धित आय व व्यय का विवरण

नगर पंचायत अर्की के गत तीन वर्षों से सम्बन्धित आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:–

वित्तीय वर्ष	आय (स्वः स्त्रोत + अनुदान + ब्याज) (₹)	व्यय (₹)
2016–17	13777687.00	9154206.68
2017–18	16094195.00	17493561.08
2018–19	17086559.01	19201946.00

8 पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि

नगर पंचायत अर्की के अवधि 01.04.2019 से 31.03.2022 तक के पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक (₹)	वर्ष के दौरान जमा अंशदान (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान (₹)	अन्तशेष (₹)
2019–20	388172	128376	16221	532769	....	532769
2020–21	532769	128376	17327	678472	202290	476182
2021–22	476182	117678	16025	609885	....	609885

पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि खाते से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी

विवरण	राशि (₹)
रोकड़ बही अनुसार 31.3.22 को अन्तशेष	609885.00
जोगिन्द्रा सैन्ट्रल को–ओपरेटिव बैंक खाता सं0 100134001003752 में दिनांक 31.3.22 को शेष जमा राशि	609885.00
अन्तिम शेष में अन्तर	शून्य

8.1 पैंशन एवं ग्रेच्युटी निधि से सम्बंधित अभिलेख / वाउचर की जाँच पर पाया गया कि उक्त तालिका में वर्ष 2020-21 में दर्शाया गया ₹2,02,290 का निधि से व्यय विभिन्न मदों जैसे सफाई, POL, प्रतिभूति की वापसी इत्यादि से संबंधित था तथा इस प्रकार निधि पर उचित प्रभार नहीं था | अत: उक्त राशि की निधि को शीघ्र प्रतिपूर्ति कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

8.2 अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि वेतन माह 2/2022 भुगतान 3/2022 से नए वेतनमान के अंतर्गत वेतन अदा किये जाने के उपरांत निधि को अंशदान बंद कर दिया जैसा की उक्त तालिका में वर्ष 2021-22 के विरुद्ध दर्शायी गयी अंशदान की राशि से भी स्वत: ही स्पष्ट है, जोकि उचित प्रतीत नहीं होता | अत: इस संबंध में निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर इसे पुन: प्रारंभ कर तथा सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा तब तक पूर्व में लागू वेतनमान अनुसार अंशदान ज़ारी रखा जाये |

9 दुकानों के किराए की बकाया ₹2.45 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट "5"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.03.2022 को दुकानों के देय किराए के रूप में ₹244686 की राशि वसूली हेतु शेष थी जिसकी वसूली हेतु नियमानुसार तुरन्त विशेष पग उठाये जाने सुनिश्चित किये जाए। तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए। यद्यपि अंकेक्षण को **परिशिष्ट "5"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में त्रुटी भी पाई गयी है क्योंकि दिनांक 31.03.2021 को अंतिम शेष ₹2,35,499 दर्शाया गया है जबकि दिनांक 01.04.2021 को प्रारम्भिक शेष ₹4,24,585 दर्शाया गया है | इस बारे भी अंकेक्षण को आवश्यक स्पष्टीकरण तथा अभिलेख में आवश्यक सुधार वांछित है |

9.1 दुकानों के बकाया किराये की राशि के आरम्भिक शेष में ₹0.16 लाख का अन्तर

अंकेक्षण को **परिशिष्ट "5"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 1.4.19 को दुकानें के देय किराये की वसूली हेतु आरम्भिक शेष की राशि ₹3,16,795 दर्शाई गई है जबकि पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.17 से 31.03.19 के **परिशिष्ट संख्या "घ"** के अनुसार दिनांक 31.3.19 के दुकानों देय किराये की वसूली हेतु अन्तिम शेष की राशि ₹333286 थी। इस प्रकार अन्तिम शेष व आरम्भिक शेष में ₹16491 का अन्तर है जोकि अनियमित है तथा इस बारे ज्ञापन संख्या 12 दिनांक 03.09.2022 द्वारा पूछे जाने पर सचिव, नगर पंचायत, अर्की पत्र संख्या NPNPANPA/Audit/2022-847 दिनांक 15.09.2022 द्वारा इस बारे आवश्यक छानबीन कर अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया है। अतः इस अन्तर बारे सम्बन्धित अभिलेख

अनुसार वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अभिलेख का अद्यतन एवं शुद्धिकरण करना सुनिश्चित किया जाये तथा आश्वासन अनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 दुकानों के किराये के अनुबन्धों का नवीनीकरण व नियमानुसार 5 वर्षों के पश्चात किराया बढ़ौतरी न करने के कारण नगर पंचायत को ₹0.06 लाख की वित्तीय हानि

नगर पंचायत के अंकेक्षण के दौरान दुकानों के किराये से सम्बन्धित अभिलेख/अनुबन्धों की जाँच में एवं अंकेक्षण को पत्र संख्या NPA/Audit/2022-738 दिनांक 30.08.2022 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पाया गया कि निम्न विवरणानुसार नगर पंचायत द्वारा दुकानों के किराये में नियमानुसार बढ़ौतरी न करने से नगर पंचायत को ₹6196 की वित्तीय हानि हुई, जबकि आयुक्त एवं सचिव (शहरी विकास विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः एल0एस0जी0–एफ–6–1/85 दिनांक 21.12.2001 द्वारा अधिसूचित अधिनियम के नियम 5 (क) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार 5 वर्ष के पश्चात किराये में 10% की बढ़ौतरी तथा दुकानदारों से नियमानुसार अनुबन्ध/इकरारनामों का नवीनीकरण किया जाना अपेक्षित है।

Stall No.	**Allottee**	**Date of allotment & last hike and Rent (Rs.)**	**Period of 5 years expired on and rent due (Rs.)**	**Loss (Rs.)**	**Remarks**
2	Sh. Liaq Ram	1.4.2012 (Rs.250/ nth)	31.03.2017 (Rs. 275 w.e.f. 01.04.2017)	25*52months= 1300 (upto 31.07.2021)	This shop was re-allotted to Sh. Dinesh on 01.08.2021
12	Sh. Bali Ram	01.04.2009 (Rs. 360 per month) as per DCR Page No. 128	31.03.2014 (Rs.396 w.e.f. 01.04.14) 31.03.2019 (Rs.436 w.e.f. 01.04.2019)	36 *60=2160 76* 36=2736	The matter is stated to be pending in Court as per information supplied to audit.
			Total loss	4896	
			Overall total loss	₹6196	

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 12 दिनांक 03.09.2022 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत अर्की ने पत्र संख्या

NPNPANPA/Audit/2022-847 दिनांक 15.09.2022 द्वारा स्टाल संख्या 2 के सम्बन्ध में उक्त हानि की प्रतिपूर्ति श्री दिनेश से करने का आश्वासन दिया है जबकि स्टाल संख्या 12 के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय न्यायालय के आदेशानुसार लिया जाना वाँछित है। अतः आश्वासन अनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 दस वर्षों के उपरान्त भी न तो दुकान का बकाया किराया वसूल किया जाना और न ही दुकान खाली करवाई जाना

लेखा परीक्षा को पत्र संख्या NPA/Audit/2022-738 दिनांक 30.08.2022 द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्न प्रसंगों में मूल Allottee की मृत्यु के पश्चात बंद पड़ी दुकानों को उनके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने हेतु अथवा खाली करवाकर पुनः आंबटन करने हेतु कोई ठोस कारवाई नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप निम्न तालिका में वर्णित दुकानें कई वर्षों तक खाली रहीं /से बंद हैं तथा नगर पंचायत को वित्तीय हानि उठानी पड़ी/पड़ रही है:-

दुकान संख्या	दुकान खाली रहने की अवधि / दुकान बंद रहने की अवधि	टिप्पणी
11	1.3.2017 to 31.5.21	इस दुकान का पुनः आंबटन दिनांक 01.06.2021 को किया गया।
14	2012-13 से बंद	श्री साबर अली जो कि इस दुकान के मूल allottee थे की मृत्यु के पश्चात् तथा उनके उत्तराधिकारियों द्वारा दुकान हस्तांतरित करने हेतु कोई कारवाई न किये जाने के पश्चात भी दुकान खाली नहीं कारवाई गयी।
15	2015-16 से बंद	श्री मनीराम गुप्ता जो कि इस दुकान के मूल allottee थे की मृत्यु के पश्चात् तथा उनके उत्तराधिकारियों द्वारा दुकान हस्तांतरित करने हेतु कोई कारवाई न किये जाने के पश्चात भी दुकान खाली नहीं कारवाई गयी।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 12 दिनांक 03.09.2022 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसके प्रत्युतर में सचिव, नगर पंचायत, अर्की ने पत्र संख्या NPNPANPA/Audit/2022-847 दिनांक 15.09.2022 द्वारा सूचित किया गया कि नगर पंचायत, अर्की के सदन की दिनांक 30.08.2022 को हुई बैठक के प्रस्ताव संख्या 354 व् 355 द्वारा अनुमोदन उपरांत स्टाल संख्या 14 व् 15 को खाली करवाकर नगर पंचायत ने अपने कब्जे में ले लिया है तथा इनका बकाया किराया माफ़ कर दिया है | यद्यपि अंकेक्षण के दौरान की गयी कारवाई कुछ तक संतोषजनक है परन्तु नगर पंचायत के वित्तीय हितों के दृष्टिगत इन दुकानों को शीघ्र अतिशीघ्र पुन: आबंटन कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में इस तरह की त्रुटि की पुनरावृति न की जाये तथा ऐसे मामलो में सदैव त्वरित कार्रवाई कर नगर पंचायत के वित्तीय हितों की सुरक्षा की जाये जबकि किराया माफ़ करने हेतु की कारवाई को भी न्यायोचित ठहराया जाये|

9.4 दुकानों के किराये के साथ GST की वसूली न करने के कारण सरकार को ₹1.94 लाख के राजस्व की हानिः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा किराये पर दी गई दुकानों के मालिकों से किराये पर **GST** की वसूली नहीं की जा रही थी जबकि सरकार द्वारा दिनांक **01.07.17 से Service tax** के स्थान पर **GST** लागू किया गया था तथा इसकी दर **18%** निर्धारित की गई है। परिणामस्वरूप अंकेक्षण को पत्र संख्या NPA/Audit/2022-738 दिनांक 30.08.2022 द्वारां उपलब्ध करवाई गयी सूचना के आधार पर निम्न तालिका में दर्शायी गणनानुसार सरकार को ₹194190 की राजस्व हानि हुई है:

वर्ष	वार्षिक मांग (रू)	18% की दर से देय जी.एस.टी. (रू)
2019-20	342834	61710
2020-21	342834	61710
2021-22	393166	70770
कुल योग	**1078834**	**194190**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 12 दिनांक 03.09.2022 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में सचिव, नगर पंचायत, अर्की ने पत्र संख्या NPNPANPA/Audit/2022-847 दिनांक 15.09.2022 द्वारा आश्वासन दिया है कि इस संबंध में नगर पंचायत के सदन में उपयुक्त विचार विमर्श के उपरांत सभी Allottees से **GST** की समुचित वसूली कर सरकार को हुई उक्त हानि की शीघ्र ही भरपाई कर ली जाएगी | अत: आशवासन अनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

9.5 दुकान संख्या 11 के देय किराये के विरुद्ध ₹8378 का अनियमित समायोजन:

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री कुलदीप चंद को दुकान संख्या 11 खुली बोली में आंबटित किये जाने के पश्चात् {जिसका कब्ज़ा उन्होंने दिनांक 01.06.2021 से लिया}, उनसे देय किराये में, दुकान में उनके द्वारां बिजली का मीटर लगाने हेतु खर्च किये गये ₹3273 तथा दुकान की मुररम्मत पर खर्च किये गये ₹5105 अर्थात कुल ₹8378 (DCR-Page No. 181) का समायोजन किया गया जो की अनियमित प्रतीत होता है क्योंकि दुकान की खुली बोली "जहाँ है जैसी है" (as-is-where-is basis) आधार पर की गयी थी तथा इस तरहं के समायोजन हेतु श्री कुलदीप चंद एवं नगर पंचायत के मध्य हुए अनुबंध में भी कोई प्रावधान नहीं था, यद्यपि इस संम्बंध में नगर पंचायत के सदन का प्रस्ताव संख्या 78 दिनांक 06.05.2021 द्वारां पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था| इस प्रसंग में ज्ञापन संख्या 12 दिनांक 03.09.2022 द्वारा नगर पंचायत से स्पष्टीकरण माँगा गया था जिसके प्रत्युतर में सचिव, नगर पंचायत, अर्की ने पत्र संख्या NPNPANPA/Audit/2022-847 दिनांक 15.09.2022 द्वारा केवल यह सूचित किया गया कि उक्त समायोजन नगर पंचायत के सदन का प्रस्ताव संख्या 78 दिनांक 06.05.2021 द्वारां पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर ही किया गया है जबकि उक्त समायोजन को न्यायोचित ठहराने हेतु कोई ठोस कारण नहीं दिया गया | अत: उक्त अनियमित समायोजन को या तो न्यायोचित ठहराया जाये अथवा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्रोत से कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.6 संशोधित दर से किराया की वसूली न किये जाने के कारण ₹0.05 लाख की हानि:

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सुश्री करुना देवी पुत्री श्री हरी दत्त को आबंटित दुकान संख्या 51 के सन्दर्भ में किये गए नए अनुबंध अनुसार दिनांक 01.07.2018 से 30.06.2023 तक की अवधि के लिए दुकान का किराया ₹1150 प्रति मास से बढ़ा कर ₹1265 प्रति मास कर दिया गया था परन्तु मांग एवं प्राप्ति पंजी के पृष्ठ 135 पर दर्ज विवरण अनुसार उनसे दुकान का किराया ₹1150 प्रति मास की दर से ही वसूल किया जा रहा है| इस प्रकार 01.07.2018 से 31.03.2022 अर्थात अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तक उनसे ₹5175 (₹115 X 45 महीने) की कम वसूली की गयी| इस बारे ज्ञापन संख्या 12 दिनांक 03.09.2022 द्वारा पूछे जाने पर सचिव, नगर पंचायत, अर्की ने पत्र संख्या NPNPANPA/Audit/2022-847 दिनांक 15.09.2022 द्वारा इस बारे आवश्यक छानबीन कर अंकेक्षण को अवगत करवाने का आशवासन दिया है | अत: आशवासन अनुसार आवश्यक कारवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

9.7 मूल आबंटियो द्वारा उप-पट्टे (sublet) पर दी गयी दुकानों का नगर पंचायत, अर्की द्वारा उप-पट्टेधारियों को ही अनियमित आबंटन:

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दुकान संख्या 2 जो कि नगर पंचायत, अर्की द्वारा मूल रूप में श्री लायक राम को आबंटित की गयी थी तथा उनके द्वारा श्री दिनेश कुमार को उप-पट्टे (sublet) पर दी गयी थी को नगर पंचायत, अर्की ने दिनांक 01.08.2021 से श्री दिनेश कुमार, उप-पट्टेधारी को तब के मूल आबंटी के किराये ₹250 से बढ़ा कर ₹3000 पर निर्धारित कर आबंटित कर दी गयी | दुकान संख्या 18/1 भी जो कि नगर पंचायत, अर्की द्वारा मूल रूप में श्री परस राम को आबंटित की गयी थी तथा उनकी मृत्यु उपरांत उनकी धर्म पत्नी श्रीमती कलावती के नाम थी, को श्री अमर देव जो की उक्त दुकान को उप-पट्टे (sublet) पर चला रहे थे को श्रीमती कलावती से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के उपरांत मूल आबंटी के किराये ₹396 से बढ़ा कर ₹1500 पर निर्धारित कर दिनांक 01.08.2021 से आबंटित कर दी गयी | इस संबंध में सदन की दिनांक 10.08.2021 को हुई बैठक

में क्रमशः प्रस्ताव संख्या 125 व् 131 के द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया | परन्तु उक्त आबंटन मूल आबंटियों के साथ किये गए अनुबन्ध के प्रावधान अनुसार अवैध प्रतीत होता है क्योंकि उन अनुबन्धों में दुकानों को उप-पट्टे (sublet) पर देना विशेष रूप से निषेध था तथा ऐसी स्थिति में दुकान खाली करवाने का प्रावधान था | इस बारे ज्ञापन संख्या 12 दिनांक 03.09.2022 द्वारा पूछे जाने पर सचिव, नगर पंचायत, अर्की ने पत्र संख्या NPNPANPA/Audit/2022-847 दिनांक 15.09.2022 द्वारा इस बारे केवल यह सूचित किया कि उक्त आबंटन नगर पंचायत, अर्की के सदन का अनुमोदन अनुसार किया गया है जो कि संतोषजनक प्रतीत नहीं होता | अत: सुझाव दिया जाता है कि इस संबंध में विधि विभाग से परामर्श उपरांत आगामी कारवाई कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार आबंटन की प्रक्रिया का अनुसरण सुनिश्चित किया जाये |

9.8 अनुबध में देय किराये की राशि को विलम्ब से जमा करवाने पर दण्ड शुल्क का प्रावधान करना एवं उसकी कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करवाना **:**

दुकानों के किराये से सम्बन्धित अभिलेख का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि अधिकतर प्रकरणों में किरायेदारों द्वारा नियमित रूप से प्रतिमाह देय किराया जमा करवाने की अपेक्षा विलम्ब से एक मुश्त राशि के रूप में अपनी सुविधानुसार जमा करवाया गया था तथा किरायेदार से हुए अनुबन्ध में देय किराये की राशि को विलम्ब से जमा करवाने पर अधिकतर अनुबन्धों में दण्ड शुल्क का कोई प्रावधान नहीं था, जिसके अभाव में किरायेदारों पर देय किराया नियमित रूप से प्रतिमाह जमा करवाने का कोई दबाव नहीं रहता। वहीँ दूसरी ओर नयी पुनः आंबटित दुकानों के अनुबंध अनुसार यद्यपि विलम्ब से किराया जमा करवाने पर 10 प्रतिशत की दर से दंड ब्याज का प्रावधान किया गया है परंन्तु इस सम्बन्ध में विलम्ब से किराया जमा करवाने पर कोई वसूली नहीं की जा रही है जैसा की अंकेक्षण के दौरान पुनः आंबटित दुकान संख्या 2- श्री दिनेश कुमार, दुकान संख्या 11- श्री कुलदीप चंद एवं दुकान संख्या 18/1-श्री अमर देव के प्रसंग में पाया गया | इस कारण जहां देय किराये की वसूली हेतु बकाया राशि बढ़ती रहती है, वहीं नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति व विकास गतिविधियों को भी प्रभावित करती है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 12 दिनांक 03.09.2022 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में सचिव, नगर पंचायत, अर्की ने पत्र संख्या NPNPANPA/Audit/2022-

847 दिनांक 15.09.2022 द्वारा भविष्य में इस संबंध में समुचित कारवाई का आशवासन दिया है | अत: आशवासन अनुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाये | यहाँ गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के संदर्भ को ज़ारी रखते हुए ये भी परामर्श दोहराया जाता है कि किरायेदार से हुए अनुबन्ध मे देय किराये की राशि को विलम्ब से जमा करवाने पर दण्ड ब्याज का प्रावधान सभी अनुबन्ध में सुनिश्चित किया जाए तथा इसे कड़ाई से लागू किया जाये ताकि किरायेदारों पर देय किराया नियमित रूप से प्रतिमाह समय पर जमा करवाने का दबाव बना रहे तथा नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति व विकास गतिविधियां भी प्रभावित न हो तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से भी अंकेक्षण को करवाया जाए।

10 घर-घर से कूड़ा उठाने से आय:

10.1 घर-घर से कूड़ा उठाने से आय की बकाया ₹4.01 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट संख्या "6"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.03. 2022 को घर–घर कूड़ा नठाने से आय के रूप में ₹401436 की राशि वसूली हेतु शेष थी जिसकी वसूली हेतु नियमानुसार तुरन्त विशेष पग उठाये जाने सुनिश्चित किये जाए। तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10.2 घर-घर से कूड़ा उठाने से सम्बंधित मांग एवं प्राप्ति पंजिका में वर्ष के अंत में बकाया राशि को अगले वर्ष कम दर्शाने के कारण ₹0.25 लाख की हानि

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि घर-घर से कूड़ा उठाने के सार्वजानिक कार्यालयों एवं पाठशालाओं से सम्बंधित मांग एवं प्राप्ति पंजिका में **परिशिष्ट '7'** में दर्शाये गए प्रकरणों में दिनांक 31.03.2019, 31.03.2020 व् 31.03.2021 को बकाया राशि को अगले वर्ष के प्रारम्भ में कम दर्शाया गया है जिसके परिणामस्वरूप नगर पंचायत को ₹24720 की हानि हुई | इसके अतिरिक्त मांग एवं प्राप्ति पंजिका को सचिव, नगर पंचायत से सत्यापित भी नहीं करवाई जा रही है | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 7 दिनांक 25.08.2022 द्वारा उपरोक्त के संदर्भ में तथा कोरोना काल के दौरान सदन के अनुमोदन उपरांत सार्वजानिक कार्यालयों एवं पाठशालाओं को दी गयी छूट के बारे अंकेक्षण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण के समाप्त होने तक इस सन्दर्भ में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ | अत: उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करने के

उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा मांग एवं प्राप्ति पंजिका को सचिव, नगर पंचायत से नियमित रूप से सत्यापित भी करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये |

10.3 घर-घर से कूड़ा उठाने के यूजर चार्जेज (User Charges) निर्धारित दर से कम दर पर वसूल किये जाने के कारण ₹0.12 लाख की हानि :

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट-8** में दर्शाये गए प्रकरण में घर-घर से कूड़ा उठाने हेतु यूजर चार्जेज (User Charges) नगर पंचायत द्वारा दिनांक 19.03.2018 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 290 के अंतर्गत निर्धारित दर से कम दर पर वसूल किये जाने के कारण नगर पंचायत को रू 11,520 की हानि हुई है | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 7 दिनांक 25.08.2022 द्वारा उपरोक्त के संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण के समाप्त होने तक इस सन्दर्भ में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ | अत: उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

10.4 घर-घर से कूड़ा उठाने के यूजर चार्जेज (User Charges) पर अनियमित छूट दिए जाने के कारण ₹0.02 लाख की हानि :

नगर पंचायत द्वारा दिनांक 11.07.2018 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 322 द्वारा शहर के निवासियों हेतु घर-घर से कूड़ा उठाने के पूरे वर्ष के यूजर चार्जेज (User Charges) की राशि को वर्ष की प्रथम तिमाही में एक मुश्त जमा करवाने पर 10 % छूट का प्रावधान किया गया था | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट-'9'** में दर्शाये गए प्रकरणों में न केवल वार्षिक यूजर चार्जेज की राशि को प्रथम तिमाही के उपरांत जमा करवाने पर बल्कि पूर्ण देय राशि एक मुश्त न जमा करवाने पर भी यूजर चार्जेज (User Charges) में 10 % छूट प्रदान कर दी गयी जिसके फलस्वरूप नगर पंचायत को ₹2070 की हानि हुई है | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 7 दिनांक 25.08.2022 द्वारा उपरोक्त के संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अवगत करवाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण के समाप्त होने तक इस सन्दर्भ में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ | अत: उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

11 गृहकर

11.1 गृहकर की बकाया ₹40.50 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट "10"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.03.2022 को गृहकर की बकाया ₹40,50,381 वसूली हेतु शेष थी जिस राशि में से ₹13,99,656 (827450 + 572206) की राशि के मामले अंकेक्षण को **परिशिष्ट**-10 "A।" पर दी गयी सूचना अनुसार तहसीलदार (वसूली), सोलन के समक्ष आवश्यक वसूली हेतु लंबित दर्शायें गए हैं तथा शेष ₹26,50,725 राशि के मामले नगर पंचायत स्तर पर वसूली हेतु लंबित हैं जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः वर्णित शेष राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष पग उठाये जाने सुनिश्चित किए जाएं तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11.2 गृहकर की बकाया किराये की राशि के आरम्भिक शेष में ₹22.10 लाख का अन्तर

अंकेक्षण को द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 1.4.19 को गृहकर की वसूली हेतु आरम्भिक शेष की राशि ₹3282503 दर्शाई गई है जबकि पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.17 से 31.03.19 के पैरा संख्या 10.2 के अनुसार दिनांक 31.3.18 के गृहकर की वसूली हेतु अन्तिम शेष की राशि ₹1072376 थी। इस प्रकार उक्त अन्तिम शेष व आरम्भिक शेष में ₹2210127 का अन्तर है जिसे स्पष्ट करने हेतु सचिव, नगर पंचायत, अर्की से ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 14.09.2022 द्वारा वर्ष 2018-19 से संबंधित आंकड़े अभिलेख सहित मांगे गए थे क्योंकि गत अंकेक्षण के दौरान भी इस बारे अवगत नहीं करवाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या NPNPANPA/Audit/2022-848 दिनांक 15.09.2022 द्वारा इस बारे आवश्यक छानबीन कर अंकेक्षण को अवगत करवाने/ दरुस्ती करने का आश्वासन दिया है | अतः इस अन्तर बारे सम्बन्धित अभिलेख अनुसार वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अभिलेख का अद्यतन एवं शुद्धिकरण करना सुनिश्चित किया जाये तथा आश्वासन अनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.3 गृहकर/सम्पत्ति की कर गत वर्ष/वर्षों की राशि बकाया होने पर भी वर्तमान मांग पर तथा वर्तमान मांग का यथासमय भुगतान न करने पर भी गृहकर पर अनियमित रूप से ₹4872 की छूट प्रदान करना

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि भवन स्वामियों को गृहकर/सम्पत्ति **कर** की **गत वर्ष/ वर्षो की** राशि **बकाया** होने पर भी वर्तमान मांग पर तथा वर्तमान मांग का यथासमय भुगतान अर्थात बिल में वर्णित फूट नोट अनुसार बिल ज़ारी किये जाने की तिथि से 15 दिन से पूर्व भुगतान **न करने पर भी गृहकर /सम्पत्ति कर पर अनियमित रूप से परिशिष्ट– 10 "B"** में दर्शाये गए मामलों में ₹4872 (क्रमश: ₹339+4533) **की छूट प्रदान** की गई थी | इस बारे स्पष्टीकरण करने हेतु सचिव, नगर पंचायत, अर्की से ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 14.09.2022 द्वारा अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या NPNPANPA/Audit/2022-848 दिनांक 15.09.2022 द्वारा इस बारे आवश्यक वसूली करने का आशवासन दिया है | अत: आश्वासन अनुसार आवश्यक वसूली सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 के दौरान देय बिजली उपकर की राशि की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या LSG (B) (1)-9/94 दिनांक 8.11.1999 एवं हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर पंचायत की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई बिजली पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली विभाग द्वारा बिजली उपकर वसूल करके सम्बन्धित नगर पंचायत को भुगतान किया जाना प्रावधित है परन्तु अंकेक्षण को **परिशिष्ट-'10'** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान केवल वर्ष 2019-20 में ही ₹142865 की राशि प्राप्त हुई है जबकि अन्य दो वर्षों में कोई भी राशि बिजली विभाग से प्राप्त नहीं हुई और न ही नगर पंचायत द्वारा उक्त राशि की वसूली हेतु कोई प्रयास किये गए थे। अतः इस बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित विभाग से उक्त राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकडे एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 मदिरा शुल्क से प्राप्त आय से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करनाः—

नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 10** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग से नगर पंचायत परिक्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपया प्रति बोतल की दर से नगर पंचायत को अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹255426, ₹210934 व ₹194121 की आय प्राप्त हुई थी परन्तु नगर पंचायत परिक्षेत्र में वर्षवार विक्रय की गई मदिरा की बोतलों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में प्राप्त उपरोक्त आय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में आवश्यक अभिलेख का संरक्षण करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

14 मोबाईल टावर शुल्क ₹0.37 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट—11** पर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.03.2022 को एयरटेल कम्पनी से मोबाईल टावर शुल्क के बकाया के रूप में ₹37500 की राशि वसूली हेतु शेष थी, जिसकी वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर विशेष पग उठाए जाने सुनिशिचत किए जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए। पैरा संख्या 4.2.1 के प्रसंग का भी वसूली कर निपटारा सुनिश्चित किया जाये|

15 SOLID WASTE MANAGEMENT PLANT में उर्वरक उत्पादन से शून्य आय:

अंकेक्षण को ज्ञापन संख्या दिनांक 30.07.2022 के संदर्भ में NPA/Audit/2022-726 दिनांक 22.08.2022 <u>**परिशिष्ट-12**</u> द्वारा उपलब्ध कारवाई गयी सूचना से स्पष्ट है कि नगर पंचायत, अर्की द्वारा वर्तमान अंकेक्षण की अवधि की समाप्ति तक **SOLID WASTE MANAGEMENT PLANT** के निर्माण पर ₹45,55,918 का व्यय किया गया है परन्तु नगर पंचायत इस प्लांट से कोई भी आय सृजित करने में सफल नहीं रही है, यद्यपि निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के निर्देशानुसार दिनांक 31.03.2022 तक **SOLID WASTE MANAGEMENT PLANT** से अम्बुजा सीमेंट प्लांट, दारलाघाट को 92,170 किलोग्राम Reused Derived Fuel (RDF) उनके साथ किये गए Memorandum of Understanding (MOU) के अंतर्गत बिना किसी भुगतान के भेजा गया है |

इस प्रकार प्लास्टिक के कूड़े का निपटारा तो हो रहा है परन्तु अन्य बायो डिग्रेडेबल कूड़े से उर्वरक पैदा कर आय सृजन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है | अत: सुझाव दिया जाता है कि इस संबंध में राज्य सरकार के कृषि एवं औधोनिकी विभाग से आवश्यक समन्वय स्थापित कर विशेष पग उठाये जायें ताकि वे इस संम्बध में आपको उक्त विभागों के अधीन नजदीकी सरकारी कृषि/ बागवाणी फार्म्स एवं जरूरतमंद किसानो तथा बागवानों से उर्वरक की मांग के संदर्भ में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाकर इस प्रसंग में नगर पंचायत हेतु आय के सृजन में सहयोग कर सकें | इस सम्बंध में आवश्यक कारवाई कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

16 संस्थापना पर किये गए व्यय बारे सूचना उपलब्ध न करवाना

ज्ञापन संख्या 3 दिनांक 22.08.2022 द्वारा सचिव, नगर पंचायत, अर्की से अंकेक्षण अवधि के दौरान **संस्थापना पर** किये गए व्यय बारे पूछा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संदर्भ में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था | अत: ऐसी स्थिति में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में वर्णित आपत्तियों के उपरांत कोई सुधार बारे कोई पुष्टि न हो सकी | अत: इस संबंध में आवश्यक कारवाई वांछित है |

17 पार्किंग काम्पलैक्स का निर्माण योजना अनुसार उपयुक्त स्थान पर न करने के कारण पार्किंग निर्माण कार्यों पर ₹27.51 लाख का निष्फल व्यय

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2017 से 31.03.2019 के पैरा संख्या 19 के अनुक्रम में तथा अंकेक्षण को ज्ञापन संख्या 1 दिनांक 30.07.2022 के संदर्भ में नगर पंचायत, अर्की द्वारा पत्र संख्या NPA/Audit/2022-725 दिनांक 22.08.2022 **परिशिष्ट-13** द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना से स्पष्ट है कि यद्यपि नगर पंचायत, अर्की द्वारा वर्तमान अंकेक्षण की अवधि की समाप्ति तक तक पार्किंग निर्माण पर ₹27,51,481 का व्यय किया गया है परन्तु नगर पंचायत द्वारा स्वयं बनाई गयी पार्किंग से कोई भी आय सृजित करने में लगातार असफल रही है | अंकेक्षण के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि नगर की मुख्य सड़क मार्ग को जिलाधीश, सोलन द्वारा “वर्जित पार्किंग स्थल” घोषित किया जाने के उपरांत भी स्थिति यथावत है | अत: सुझाव दिया जाता है कि एक ओर तो स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर जिलाधीश, सोलन के आदेशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाये ताकि स्थानीय वाहन मालिक अपनी वाहनों को नगर पंचायत के पार्किंग स्थल में लगाने हेतु बाधित/ प्रेरित हों तथा वहीं दूसरी ओर इस सम्बन्ध में नगर पंचायत के

निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से एक जागरूकता अभियान चला कर व् पार्किंग हेतु न्यूनतम आकर्षक मासिक दरें निर्धारित कर स्थानीय वाहन मालिकों को अपने निजी वाहनों को पार्किंग स्थल में लगाने हेतु प्रेरित कर नगर पंचायत हेतु आय के साधन सृजित करने का प्रयास किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

18 गौशाला से सम्बन्धित आय व् व्यय बारे सूचना उपलब्ध न करवाना :

नगर पंचायत, अर्की द्वारा गौशाला के संचालन पर किये जा रहे व्यय तथा उससे आय के संबंध में ज्ञापन संख्या 3 दिनांक 22.08.2022 द्वारा पूछा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संदर्भ में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था | अत: सूचना के अभाव में इस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 19 द्वारा उठाई गयी आपत्ति पर कोई कारवाई नहीं की गयी प्रतीत होती है तथा इस बारे आवश्यक कारवाई वांछित है |

19.1 श्री राम कर्ण, कनिष्ठ सहायक का गलत वेतन निर्धारण व् ACPS का अनियमित लाभ प्रदान करने के कारण दिए जा रहे वेतन की अदायगी गत अंकेक्षण प्रतिवेदन 01.04.2017 से 31.03. 2019 के पैरा संख्या 19.2 द्वारा आपत्ति उठाये जाने के पश्चात भी वर्तमान अंकेक्षण अवधि में भी ज़ारी रखे जाने के कारण कुल ₹0.31 लाख के वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन 01.04.2017 से 31.03. 2019 के पैरा संख्या 19.2 द्वारा श्री राम कर्ण, कनिष्ठ सहायक का गलत वेतन निर्धारण व् ACPS का अनियमित लाभ प्रदान करने के कारण ₹6067 वेतन एवम भत्तों (अंतरिम रहत को छोड़ कर) का अधिक भुगतान किये जाने बारे आपत्ति उठाई गयी थी | अंतरिम राहत की राशि को जोड़ कर दिनांक 31.03.2019 तक यह अधिक भुगतान की राशि ₹6577 बनती है, परन्तु यह अनियमित भुगतान निम्न तालिका में दिए गए विवरण अनुसार वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान दिनांक 30.09.2020 तक ज़ारी रहा | तदोपरांत अंकेक्षण आपत्ति अनुसार श्री राम कर्ण, कनिष्ठ सहायक के वेतन को कम कर दिया गया था | इस प्रकार श्री राम कर्ण, कनिष्ठ सहायक को निम्न तालिका में दर्शाये विवरण अनुसार कुल ₹30,532 का अधिक भुगतान हुआ है जिसे स्पष्ट करने हेतु सचिव, नगर पंचायत, अर्की से ज्ञापन संख्या 10 दिनांक

01.09.2022 द्वारा अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या NPNPANPA/Audit/2022-849 दिनांक 15.09.2022 द्वारा इस बारे आवश्यक वसूली करने का आशवासन दिया है | अत: आश्वासन अनुसार वसूली कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

Period (Salary month)	Pay Drawn	Pay Due	Difference	DA	Interim Relief @ 21%	Overpayment involved
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Amount overpaid as per Para 19.2 of the previous Audit Report upto 31.03.2019						6067
Add: Net impact of Interim Relief upto 31.03.2019						510
Total overpayment involved upto 31.03.2019						**6577**
Subsequent overpayment during the current audit period are as per detail given hereunder:						
1.4.19 to 30.6.19	13480+3600=17080	13000+3600= 16600	480	710 (148%)	101	1291 * 3 = 3873
1.7.19 to 30.9.19	13480+3600=17080	13000+3600= 16600	480	734 (153%)	101	1315* 3 = 3642
1.10.19 to 30.9.20	14000+3600=17600	13500+3600= 17100	500	765 (153%)	105	1370 * 12 = 16440
		Overpayment during current audit period Rs.				**23955**
		Total Overpayment involved Rs.				**30532**

उपरोक्त पैरा में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन 01.04.2017 से 31.03.2019 के पैरा संख्या 19.2 के अंतर्गत अधिक अदा की गयी राशि को समाविष्ट किये जाने के दृष्टिगत गत पैरा को वर्तमान प्रतिवेदन में समायोजित कर भी दर्शाया जा रहा है |

19.2 अंकेक्षण के दौरान मास मार्च, 2022 के वाउचर की जाँच पर पाया गया कि श्री राम कर्ण, कनिष्ठ सहायक को निम्न तालिका में दर्शाये गए विवरण अनुसार दिनांक 01.01.2016 से लागू संशोधित वेतनमान जो कि हि.प्र. वित्त (वेतन संशोधन) विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या Fin(PR)B(7)-1/2021 दिनांक 03.01.2022 द्वारा ज़ारी किये गए हैं, के अंतर्गत मास जनवरी का पूरे महीने की बकाया राशि की अदायगी कर दी गयी जबकि उनके द्वारा 15% का विकल्प चुने जाने के कारण उन्हें वित्त (वेतन संशोधन) विभाग के पत्र संख्या Fin(PR)-B(7)-1/2021-LOOSE दिनांक

10.02.2022 के अनुसार बकाया राशि का भुगतान केवल 03.01.2022 से देय था | इस प्रकार उन्हें ₹528 का अनियमित अधिक भुगतान कर दिया गया जिसकी उनसे शीघ्र वसूली कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये | इस बारे संबधित को चर्चा के दौरान अवगत करवा दिया गया था |

	Due			Drawn						
Period (No. of Days)	Pay	DA	Total	Pay + Grade Pay	DA	IR	Total	Difference	Amount payable for 29 days (Rs.)	Amount overpaid (Rs.)
03.01.2022 to 31.01.2022 (29 days)	45000	13950	58950	14530 +3600 18130	28827	3807	50764	8186	7658	528

19.3 यात्रा भत्ता दावों में ₹0.01 लाख का अनियमित अधिक भुगतान :

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दर्शाये विवरणानुसार श्री अभिनव शर्मा, सचिव एवं श्री रामकरण, कनिष्ठ सहायक को ₹1154 के यात्रा भत्ता का देय राशि से अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11 दिनांक 03.09.2022 द्वारा इस संदर्भ में सचिव, नगर पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने पत्र संख्या NPA/ARKI/Audit Memo/2022-850 दिनांक 15.09.2022 द्वारा आवश्यक वसूली का आशवासन दिया है | अत: उक्त राशि की आश्वासन अनुसार वसूली सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

व्यय	नाम एवं पद	अदा किया गया यात्रा भत्ता (शामिल दैनिक भत्ता) (₹)	देय यात्रा भत्ता (देय दैनिक भत्ता) (₹)	अधिक भुगतान (₹)
मार्च, 2022	श्री अभिनव शर्मा, सचिव	2708 (1120)	1938 (350)	770
Remarks: Overall period of absence from HQ was more than 6 hrs but < 12 hours				

and halt at tour station was also < 6hrs and, therefore, DA was admissible @ 70% of journey Daily of Rs. 72 i.e. Rs. 50 per day for this to & fro tour to Solan / Shimla undertaken on 25.11.21, 29.11.21, 20.12.21, 10.01.22, 31.1.22, 22.2.22 & 26.02.22.				
जुलाई, 2019	श्री रामकरण, कनिष्ठ सहायक	1790 (800)	1550 (560)	240
मार्च, 2022		1076 (480)	932 (336)	144
Remarks: Overall period of absence from HQ was exactly 12 hours and halt at tour station being >6hrs DA was admissible @ 70% of Rs. 160 i.e. Rs. 112 per day for this to & fro tour to Solan undertaken on 28.05.19, 19.6.19, 25.6.19, 16.7.19 & 20.07.19 and then on 4.9.21, 20.12.21 & 26.12.21.				
			कुल अधिक भुगतान	**₹1154**

19.4 वेतन प्रकरणों के अभिलेख से संबंधित विविध आपतियां:

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा वेतन विपत्र पंजी (PBR) का संधारण तो किया जा रहा है परन्तु उसे सचिव महोदय से सत्यापित नहीं करवाया जा रहा है जिसके अभाव में आंतरिक नियंत्रण विफल हो चूका है तथा ऐसी स्थिति में अधिक् / अनियमित अदायगी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता |

(ii) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा वेतन विपत्र पंजी (PBR) में कर्मचारियों को अदा की गयी बकाया की प्रविष्टि नहीं की जा रही है उदाहरण के तौर पर राशियों मार्च, 2022 में अदा किये गये संशोधित वेतन के बकाया की प्रविष्टि वेतन विपत्र पंजी (PBR) में दर्ज नहीं पाई गयी | वहीँ दूसरी ओर कर्मचारियों के वेतन प्रसंगों में लेखा परीक्षा आपत्ति उपरांत अथवा कार्यालय स्तर पर त्रुटि पाए जाने के उपरांत की गयी अधिक अदायगी के वसूली के प्रसंग में विपत्र पंजी (PBR) / सेवा पंजी लाल रंग में आवश्यक प्रविष्टियाँ नहीं की जा रही हैं जिनके अभाव में अभिलेख अपूर्ण है तथा ऐसी स्थिति में अधिक् / अनियमित अदायगी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता |

(iii) सेवा पंजी के अवकाश खाता भाग में कर्मचारियों द्वारा व्यतीत किये गए अवकाश की अवधि का उल्लेख नहीं किया जा रहा है |

(iv) नगर पंचायत कार्यालय द्वारा ACPS तथा Revision of Pay Scales के उपरांत किये गए वेतन संशोंधन से सम्बन्धित आदेश ज़ारी नहीं किये जा रहे बल्कि इस संबंध में केवल सेवा पंजी में प्रविष्टि ही की जा रही है | ऐसी स्थिति में कर्मचारी वर्ग को उनको देय लाभ की संपूरण जानकारी नहीं मिलती तथा वहीँ दूसरी और उन्हें देय लाभ का **भुगतान ही नहीं किया जाने** अथवा **कम भुगतान की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता |**

अत: उक्त अनियमित कार्यप्रणाली में तुरंत आवश्यक सुधार लाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये जैसा कि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान ज़ारी ज्ञापन संख्या 10 दिनांक 01.09.2022 द्वारा भी उक्त बारे अवगत करवाकर अनुरोध किया गया था तथा जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत, अर्की ने पत्र संख्या NPA/ARKI/Audit Memo/2022-849 दिनांक 15.09.2022 द्वारा आशवासन भी दिया है |

20.1 दोहरी पेंशन आहरित कर रहे पेंशनभोगी को संभावित अनियमित अधिक भुगतान:

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा श्रीमति पूनम देवी, सफाई कर्मचारी (सेवानिवृत्त) को दो पेंशन की अदायगी की जा रही थी | एक उनकी अपनी पेंशन {Superannuation Pension} @ ₹7190+ महंगाई राहत प्रति मास की दर से तथा दूसरी परिवार पेंशन ₹3500 प्रति मास की दर उनके मृत पति -श्री जीत राम, सफाई कर्मचारी, सेवानिवृत्त के दिनांक 26.4.2021 को निधन उपरांत, से अदा की जा रही थी | श्री जीत राम, सफाई कर्मचारी के निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश द्वारा ज़ारी PPO No. 554/2004-05 अनुसार उनका सेवानिवृति की तिथि को अर्थात दिनांक 31.03.2004 को अंतिम वेतन ₹4020 था तथा 30% की दर से परिवारिक पेंशन की राशि ₹1206 बनती थी| इस परिवार पेंशन ₹1206 की राशि को उक्त PPO में तत्कालीन पेंशन संबंधित निर्देशानुसार ₹1310 के न्यूनतम स्तर पर बढ़ा कर निर्धारित किया गया था, जो कि दिनांक 01.01.2006 से लागू संशोधित दरों में ₹3500 निर्धारित की गयी थी तथा तदनुसार ही श्रीमति पूनम देवी, सफाई कर्मचारी (सेवानिवृत्त) ₹3500 की दर से अदा की जा रही है | परन्तु वित्त (पेंशन) विभाग के कार्यालय ज्ञापन No. Fin(Pen)A(3)-1/09-Part-II dated 14.10.2009 (pertaining to

pre-2006 pensioners) के नियम 5 के अंतर्गत प्रावधानानुसार दोहरी पेंशन आहरित करने की स्थिति में ₹3500 की न्यूनतम सीमा {floor ceiling} ऐसी स्थिति में दोनों पेंशन की राशि को मिला कर लगायी जानी वांछित थी/ है अर्थात श्रीमति पूनम देवी, सफाई कर्मचारी (सेवानिवृत्त) को पारिवारिक पेंशन का ₹3500 की दर से भुगतान उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि उनकी अपनी पेंशन पहले ही ₹7190 के स्तर पर थी | उक्त की तरह का समकक्ष प्रावधान वित्त (पेंशन) विभाग के कार्यालय ज्ञापन OM No. Fin(Pen)A(3)-1/2021-Part-II दिनांक 25.02.2022 (in respect of pre-2016 pensioners) में भी किया गया है| क्योंकि पेंशन प्रसंग में उपरोक्त प्रावधान को लागू करने हेतु निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त PPO ज़ारी करते समय कोई स्पष्ट निर्देश/ देय पेंशन की राशि का उल्लेख नहीं किया गया है I अत: परामर्श दिया जाता है इस सम्बन्ध में उनसे स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त कर उक्त प्रावधान को लागू किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये जैसा कि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 11 दिनांक 03.09.2022 द्वारा भी पहले ही सूचित किया जा चुका ताकि अनियमित अधिक भुगतान को शीघ्र अतिशीघ्र रोका जा सके तथा जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पचायत, अर्की द्वारा पत्र संख्या NPA/Audit Memo/2022-850 दिनांक 15.09.2022 द्वारा निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश से मामला उठाने बारे आश्वस्तभी किया गया है |

20.2 श्रीमति निर्मला, पारिवारिक पेंशनर को वर्ष 2016 से महंगाई राहत (Dearness Relief) के बिना ही पारिवारिक पेंशन की अदायगी के कारण संभावित कम भुगतान:

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्रीमति निर्मला को उनके पति स्वर्गीय श्री जगदीश चंद जोकि दिनांक 31.08.2010 को नगर पंचायत से वरिष्ठ लिपिक के पद से सेवानिवृत हुए थे, की दिनांक 02.07.2016 को मृत्यु के पश्चात् PPO संख्या 932/10-11 अनुसार ₹4773 की दर से परिवार पेंशन महंगाई राहत (Dearness Relief) की राशि के बिना ही अदा की जा रही है | इस संबंध में ज्ञापन संख्या 11 दिनांक 03.09.2022 तथा मौखिक तौर पर नगर पचायत के संबंधित कर्मचारी को पूछे जाने पर महंगाई राहत (Dearness Relief) की राशि न अदा कए जाने बारे कोई

संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तथा न ही लेखा परीक्षा के दौरान ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया जिससे ये ज्ञात हो सके कि वे अन्य स्त्रोत से वेतन प्राप्त कर रही थी | ऐसी स्थिति में उन्हें देय राशि से कम भुगतान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, अत: इस संबंध में आवश्यक छानबीन कर नियमानुसार समुचित कारवाई कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

20.3 अंकेक्षण के दौरान पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र (लाइव सर्टिफिकेट) भी प्रस्तुत नहीं किये गए तथापि इस संबंध में सचिव, नगर पचायत, अर्की द्वारा पत्र संख्या NPA/Audit Memo/2022-850 दिनांक 15.09.2022 द्वारा अनुपालना से अगले अंकेक्षण में अवगत करवाने के आश्वासन के साथ-साथ यह भी आश्वस्त किया गया कि प्रत्येक वर्ष जुलाई मास में लाइव सर्टिफिकेट लेने सुनिश्चित किये जायेंगे | अत: आशवासन अनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये|

20.4 अंकेक्षण के दोरान पाया गया कि नगर पचायत, अर्की द्वारा पेंशन खता बही का भी संधारण नहीं किया जा रहा है तथापि इस संबंध में सचिव, नगर पचायत, अर्की द्वारा पत्र संख्या NPA/Audit Memo/2022-850 दिनांक 15.09.2022 द्वारा भविष्य में आवश्यक संधारण बारे आशवस्त किया है| अत: आशवासन अनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये|

21 निर्माण कार्यों के संदर्भ में पाई गयी अनियमितायें :

21.1 संविदाकार के निर्माण कार्य बिलों से Royalty की कटौती नहीं किये जाने के कारण सरकारी राजस्व को ₹2.61 लाख की हानि :-

निर्माण कार्य स्थल पर उपयोग की गई निर्माण सामग्री रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि पर नियमानुसार royalty की कटौती की जानी अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों में रेत, बजरी इत्यादि का उपयोग किया गया था परंतु संविदाकार को भुगतान से पूर्व न तो निर्माण कार्य बिलों से देय royalty की कटौती की गई थी तथा इस सन्दर्भ में संविदाकार से निर्धारित **फार्म एम०** भी प्राप्त नहीं किया गया था जोकि अनियमित है | अंकेक्षण दल द्वारा इस त्रुटि को पूरी अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया तथा इस अवधि के दौरान डंगे इत्यादि के सभी निर्माण कार्यों के निर्माण बिलों की विस्तृत एवं नमूना जाँच पर पाया कि नगर पंचायत द्वारा इस प्रकार निम्न तालिका में वर्णित निर्माण कार्यों के प्रसंग में सरकारी राजस्व को ₹2,61,391 की हानि पहुंचाई गयी

है जिसकी विस्तृत मदवार गणना **परिशिष्ट-14** में दर्शायी गयी है |अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 6 दिनांक 23.08.2022 द्वारा इस संदर्भ में नगर पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में पत्र संख्या NPA/Audit/2022-767 दिनांक 31.08.2022 द्वारा उक्त के सम्बन्ध में नगर पंचायत से कोई संतोषजनक उत्तर तो प्राप्त नहीं हुआ परन्तु यह अवश्य सूचित किया गया कि उक्त अंकेक्षण ज्ञापन के ज़ारी किये जाने के उपरांत नगर पंचायत, अर्की द्वारा अब नये निर्माण कार्यों के Award Llletter में Royalty की कटौती की शर्त को समाविष्ट कर लिया गया है | अत: गत अनियमितता बारे या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस संदर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

Sr. No.	Year	Name of work	Name of Contractor	Page Ref. of MB	Month of payment	Overpayment (Rs.)
1	2019-20	Name of work: Park at Dev Dhar Ward No. 2 (SH-C/O Balance R/wall)	Sh. Pushpender	P-69-70 of MB No. 02/2016	May, 2019	16564
2	2019-20	C/o Composting Pits at Solid Waste Management site at Ward No.3	Sh. Joginder Kumar	P-84-93 of MB No. 01/2016	July, 2019	2387
3	2019-20	Restoration of damaged road near h/o Sh. Kamal Kishore (SH-C/o R/Wall) Ward No. 6, Phase-I	Sh. Mohan Lal	P-72 of MB No. 02/2016	Oct, 2019	18932
4	2020-21	Name of work : Repair of path from Main Road to Link Road at Ward No. 7	Sh. Heera Singh	P-90-95 of MB No. 02/2014	May, 2020	466

		(SH-c/o Steel Stair)				
5	2020-21	R/o Drain in Main Bazar Ward No. 5 (SH P/L Reinforced Concrete Light Duty non-pressure pipe IS Class NP-250 mm internal diameter)	Sh. Roshan Verma	P-84-88 of MB No. 02/2016	May, 2020	1843
6	2020-21	Restoration of damaged road near h/o Sh. Kamal Kishore (SH-C/o R/Wall)- Phase-I	Sh. Roshan Lal	P-16 of MB No. 01/2020	Sep, 2020	63008
7	2020-21	Restoration of damaged road near h/o Sh. Kamal Kishore (SH-C/o R/Wall-Ward No. 6 Phase-II	Sh. Mohan Lal	P-96-98 of MB No. 02/2016	Feb, 2021	61850
8	2020-21	Name of work : C/o Parking at Ward No. 7 in front of Sheetla Mata Temple Phase-I (SH-C/O R/Wall)	Sh. Heera Singh	P-55 of MB No. 01/2020	Feb, 2021	41269
9	2020-21	R/o Shela Kakar Road from Kameshwar Gupta's house upto link path towards h/o Miss Kaushal, Ward No. 7 (SH-P/L Interlocking	Smt. Hem Lata	P-76 of MB No. 01/2020	March, 2021	3334

		Concrete paver blocks 80mm thick heavy duty ISI Mark different colour and NP2 pipe 250mm dia in drain **(quantities taken from 2nd & Final Bill)**				
10	2020-21	C/O Parking at below Hawaghar Ward No. 3 (SH-C/O B/Wall& P/L Interlocking paver blocks zebra shape 80MM thick heavy duty ISI mark- 1st R.Bill& 2nd & Final Bill	Sh. Mohan Lal	P-5 to 7 of MB No. 01/2021	Feb, 2021 & April, 2021	30427
11	2021-22	Restoration of damaged road near h/o Sh. Kamal Kishore (SH-C/o R/Wall) Ward No. 6 Phase-III	Sh. Joginder Kumar	P-5-7 of MB No. 02/2021	June, 2021	1388
12	2021-22	C/o Parking near Sheetla Mata Mandir, Ward No. 7	Sh. Joginder Kumar	P-10-12 of MB No. 02/2021	July, 2021	8696
13	2021-22	Material Recovery Facility Centre and Hazardous Waste Collection Centre at SWM Ward No. 3 NP Arki Phase-III	Sh. Yog Raj Sharma	P-21-28 of MB No. 01/2021	Novembe r, 2021	11227
					Total	**₹261391**

21.2 CC R/Wall B/Wall की कार्य मात्रा से PVC Weepholes की कार्य मात्रा न घटाने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹0.13 लाख का अधिक भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न निर्माण कार्यों के प्रसंगों में निर्मित की गई दीवार/डंगो के निर्माण कार्य में 100mm PVC पाईप Weephole हेतु लगाई गई थी, तथा उसके लिए अनुबन्ध में एक पृथक कार्य मद के रूप में अलग से अदायगी तो की गयी परन्तु **CC R/Wall** मद की कार्य प्रमात्रा में से 100mm PVC पाईप के आयतन के बराबर की कार्य प्रमात्रा घटाए बिना ही ठेकेदार को भुगतान किया गया था, जबकि नियमानुसार निर्मित की गई दीवार की कार्य प्रमात्रा से weephole के आयतन के बराबर कार्य प्रमात्रा घटाकर भुगतान किया जाना अपेक्षित था । ऐसा न करके ठेकेदारों को निम्न तालिका में दिए गए विवरण अनुसार ₹12563 का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी विस्तृत गणना **परिशिष्ट 15** पर दर्शायी गयी है | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 6 दिनांक 23.08.2022 द्वारा इस संदर्भ में नगर पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में प्राप्त पत्र संख्या NPA/Audit/2022-767 दिनांक 31.08.2022 द्वारा उक्त के सम्बन्ध में नगर पंचायत से कोई उत्तर तो प्राप्त नहीं हुआ परन्तु गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गयी इस प्रकार की आपत्तियों की अनुपालना में आवश्यक वसूली वर्तमान अंकेक्षण के पैरा समायोजन के दौरान अंकेक्षण को रिपोर्ट की गयी है | अत: उक्त त्रुटि का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि को पूर्ण छानबीन उपरान्त गत आपत्तियों की अनुपालना की तरह इन आपत्तियों के संबंध में भी उचित स्त्रोत से आवश्यक वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस त्रुटी की पुनरावृति न की जाये |

Sr. No.	Year	Name of work	Name of Contractor	Month of payment	Page Ref. of MB of Abstract of Cost	Overpayment (Rs.)
1	2019-20	Name of work: Park at Dev Dhar Ward No. 2 (SH-C/O Balance R/wall)	Sh. Pushpender	May, 2019	P-69-70 of MB No. 02/2016	1071
2	2019-20	Restoration of damaged road near h/o Sh. Kamal Kishore (SH-C/o R/Wall) Ward No. 6,	Sh. Mohan Lal	Oct, 2019	P-72 of MB No. 02/2016	1536

		Phase-I				
3	2020-21	Restoration of damaged road near h/o Sh. Kamal Kishore (SH-C/o R/Wall)- Phase-I	Sh. Roshan Lal	Sep, 2020	P-16 of MB No. 01/2020	3150
4	2020-21	Restoration of damaged road near h/o Sh. Kamal Kishore (SH-C/o R/Wall-Ward No. 6 Phase-II	Sh. Mohan Lal	Feb, 2021	P-96-98 of MB No. 02/2016	2437
5	2020-21	Name of work : C/o Parking at Ward No. 7 in front of Sheetla Mata Temple Phase-I (SH-C/O R/Wall)	Sh. Heera Singh	Feb, 2021	P-55 of MB No. 01/2020	2630
6	2020-21	C/O Parking at below Hawaghar Ward No. 3 (SH-C/O B/Wall& P/L Interlocking paver blocks zebra shape 80MM thick heavy duty ISI mark- 1st R.Bill and 2nd & Final Bill	Sh. Mohan Lal	Feb, 2021 & April, 2021	P-5 to 7 of MB No. 01/2021	1739
					Total	**₹12563**

21.3 संविदाकार के निर्माण कार्य बिलों से कटौती की गयी श्रम कर की राशि को श्रम विभाग तथा हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, खलिनी, शिमला में जमा न करवाना- ₹1.50 (अनुमानित)लाख :

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि यद्यपि अंकेक्षण अवधि के दौरान संविदाकार के निर्माण कार्य बिलों से श्रम कर की कटौती तो की जा रही थी परन्तु एकत्रित राशि की अदायगी श्रम विभाग तथा हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, को 1: 99 के अनुपात में नहीं की गयी है | अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध कारवाई गयी विकास कार्यों पर किये गए व्यय की सूची अनुसार उक्त बोर्ड को केवल अंकेक्षण अवधि की ही ₹1.50 (अनुमानित) लाख की अदायगी बकाया है | अंकेक्षण के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि यह भुगतान अंकेक्षण अवधि से पहले से बकाया है तथा इस

संम्बंध में नगर पंचायत के स्तर पर अभिलेख की पड़ताल कर उक्त विभाग तथा बोर्ड को देय राशि की आवश्यक गणना कर समुचित कारवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 8 दिनांक 25.08.2022 द्वारा श्रम कर की कुल देय राशि बारे नगर पंचायत से सूचना उपलब्ध करवाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संबध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ |

21.4 निर्माण कार्यों का नियमानुसार अभिलेख तैयार न किया जाना व निर्माण कार्यों में प्रावधित नियमों की अवहेलना करना

नगर पंचायत के अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्यों बिलों की जाँच में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका नियमानुसार यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(i) निर्माण कार्य के ठेके केवल दो निविदाएँ प्राप्त होने पर भी दिए जा रहें हैं |

(iii) निर्माण कार्य के ठेकों के आंबटन पर ठेकेदरों के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किए जा रहे हैं |

(iiii) निर्माण कार्यों के आंबटन के समय विभिन्न मदों के न्यायोचित दरें (justified rates) भी नहीं निकाली जा रहीं है जिसके अभाव में निर्माण कार्यों पर अनियमित अधिक भुगतान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता |

(iv) ठेकेदारों द्वारा टैण्डर में दी गई दरों के लिए तैयार अधिकांश तुलनात्मक विवरणी में इनकी तुलना अनुसूचित दरों से करते हुए कम अथवा आधिक्य प्रतिशत नहीं दर्शाया गया था (Percentage above or below the Scheduled Rates not being referred in comparative statement of tendered rates) । साथ ही यह तुलनात्मक विवरणी प्रधान नगर पंचायत से सत्यापित भी नहीं करवाई गई थी।

(v) संविदाकार द्वारा कार्य में उपयोग किए गए सीमेन्ट के सत्यापन हेतु संविदाकार द्वारा क्रय किए गए सीमेन्ट से सम्बन्धित बिल प्राप्त करके वाउचर के साथ नहीं लगाये गये थे।

(vi) निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में विचलन विवरणी भी तैयार नहीं की जा रही है |

इस संबंध में अंकेक्षण संख्या 6 दिनांक 23.08.2022 द्वारा आपत्ति उठाये जाने के उपरांत नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्या NPA/Audit/2022-767 दिनांक 31.08.2022 के माध्यम से उपरोक्त त्रुटि संख्या (i) के प्रसंग में कार्य की urgency का कारण बताया गया है, त्रुटि संख्या (ii)

के प्रसंग में कहा गया है की standard agreement की शर्तों को आबंटन पत्र में समाविष्ट किया गया है इस लिए अलग से अनुबंध करना न्यायोचित नहीं है जबकि त्रुटि संख्या (iii) के प्रसंग में कहा गया है की अधिकांश निर्माण कार्य अनुसूचित दरों से अथवा बाज़ार दरों से कम दरों पर आबंटित किये जा रहे परिणामस्वरूप न्यायोचित दरें (justified rates) निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है| यद्यपि त्रुटि संख्या (iv), (v) व् (viii) की आगामी प्रकरणों में पुनरावृति न करने बारे आश्वासन दिया गया है|

नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त आपत्तियों {त्रुटि संख्या (iv), (v) व् (viii) को छोड़कर} के संदर्भ में दिया गया उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं होता क्योंकि उक्त दावों को सही दर्शाने हेतु ही निधारित प्रक्रिया/ नियमों की अनुपालना करते हुए आवशयक अभिलेख का सृजन अनिवार्य है | अत: उक्त प्रंसगो की अनुपालना नगर पंचायत के वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु नितांत आवश्यक है जिसे सुनिश्चित कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

22 सामान्य भविष्य निधि, पैन्शन तथा ग्रेच्युटी निधि के लेखों का रख–रखाव नियमानुसार न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः LSG-B(1)-1/79-iii दिनांक 25.4.2000 द्वारा Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & General Provident Fund) Rules 2000 अधिसूचित किए गए है। इन नियमों के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि नगर पालिका के कर्मचारियों को पैन्शन लाभों की अदायगी के उद्देश्य हेतु निदेशक द्वारा पैन्शन तथा ग्रेच्युटी निधि की स्थापना करने के साथ–2 इसका रख–रखाव भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस नियम के उप नियम (3) में यह प्रावधान भी किया गया है कि नगर पालिकाएं कर्मचारियों के समय वेतनमान (Time Scale) के अधिकतम पर क्रमशः 12% तथा 5% की दर से पैन्शन व ग्रेच्युटी का माहवार अभिदान उक्त पैन्शन व ग्रेच्युटी निधि में जमा करवाएगी। उक्त नियमों के नियम 9 में आगे यह भी प्रावधान किया गया कि सामान्य भविष्य निधि स्थापना तथा लेखों का रख–रखाव भी निदेशक द्वारा किया जाएगा परन्तु नगर पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया किः–

(क) उक्त वर्णित निधियों के लेखों का रख–रखाव निदेशक की अपेक्षा स्वयं नगर पंचायत द्वारा ही किया गया था, जोकि नियमों की सरासर उल्लंघना है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें।

(ख) नियमानुसार पैन्शन, ग्रेच्युटी, सामान्य निधि एवं अंशदायी पैन्शन योजना का अलग–अलग बैंक बचत खाता/बही खाता का रख–रखाव किया जाना अपेक्षित था, किन्तु इसके प्रतिकूल नगर पंचायत द्वारा अंशदायी पैन्शन योजना व सामान्य भविष्य निधि के बैंक में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के व्यक्तिगत बचत खाते खोल रखे थे, जिसमें सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी पैन्शन योजना का नियोक्ता हिस्सा व पैन्शन योजना का कर्मचारी का अभिदान जमा किया गया था, जोकि नियमों की सरासर उल्लंघना है तथा अनियमित है, जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा भविष्य में नियमानुसार अभिलेख का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

23 दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता बहियों का रख–रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता बहियों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 1.4.2009 से दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों का रख–रखाव करने के निर्देश दिए गए थे। वर्णित निर्देशों की अनुपालना न करने के कारण जहां निदेशक के आदेशों की उल्लंघना हो रही है, वहीं किस मद से कितनी आय प्राप्त हुई और किस मद पर कितना खर्च हुआ तथा खर्च की गई राशि अनुमोदित बजट प्रावधान से अधिक तो नहीं या अनुदान से प्राप्त राशि का उसी उद्देश्य हेतु व प्राप्त अनुदान की राशि की सीमा तक ही व्यय किया गया है या नहीं इत्यादि तथ्यों/सूचना की भी पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख को तैयार करना सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

23.1 उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित रजिस्टर/अभिलेख का भी नगर पंचायत द्वारा रख–रखाव नहीं किया जा रहा थाः–

(1) सामान्य भविष्य निधि/अंशदाई पैन्शन योजना की रोकड़ बहियां/खाता बहियां

(2) पैन्शन भुगतान रजिस्टर

(3) बिजली उपकर मांग व संग्रहण रजिस्टर

(4) मदिरा शुल्क मांग व संग्रहण रजिस्टर

24 रोकड़ बही को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करना

हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल लेखा संहिता के अध्याय–III के पैरा 19 (3) के अनुसार रोकड़ बही अध्यक्ष, नगर पंचायत द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित

था, किन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जोकि उक्त वर्णित प्रावधान के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है यद्यपि अवधि 26.03.2021 से 31.03.2022 की रोकड़ बही नगर पंचायत के वर्तमान सचिव द्वारा सत्यापित की गई थी। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी इस अनियमितता का उल्लेख होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई न करना चिन्ता का विषय है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रोकड़ बही को लेखा संहिता के प्रावधानानुसार सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

25 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था। अतः यह विवरणिका अलग से जारी नही की गई थी।

26 **निष्कर्षः—** लेखों में सुधार तथा लम्बित अंकेक्षण पैरों के निस्तारण हेतु ठोस तथा तुरन्त कार्रवई करने की नितान्त ंआवश्यकता है।

हस्ता/—
(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009.
फोन नं0 —0177—2620881

पृष्ठांकन संख्या :— (V) 49/फिन (एल0ए0) खण्ड—4—1986—1987 दिनांक, 14.03.2023
शिमला—09.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :—

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला—2. को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत :— 2 सचिव, नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009.
फोन नं0 —0177—2620881

परिशिष्ट "1"   पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दर्भ में

नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 01.04.2019 से 31.03.2022 में सम्मिलित गत अनिर्णीत अंकेक्षण पैरों की स्थिति

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 07/1967 से 01/1970

1	पैरा–1	अनिर्णीत
2	पैरा–2	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 02/1970 से 03/1972

1	पैरा–4	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1972 से 03/1977

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–11	अनिर्णीत
4	पैरा–12	अनिर्णीत
5	पैरा–13	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1977 से 03/1981

1	पैरा–8	अनिर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–10	अनिर्णीत
4	पैरा–11	अनिर्णीत
5	पैरा–12	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (सी)	अनिर्णीत
7	पैरा–13	अनिर्णीत
8	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
9	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत
10	पैरा–14 (सी)	अनिर्णीत
11	पैरा–14 (डी)	अनिर्णीत
12	पैरा–14 (ई)	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (एफ)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (एच)	अनिर्णीत
15	पैरा–14 (आई)	अनिर्णीत
16	पैरा–14 (जे)	अनिर्णीत
17	पैरा–15	अनिर्णीत
18	पैरा–16	अनिर्णीत
19	पैरा–17	अनिर्णीत

20	पैरा–21	अनिर्णीत
21	पैरा–23	अनिर्णीत
22	पैरा–25 (सी)	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1982 से 03/1983

1	पैरा–9 (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (सी)	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1983 से 03/1987

1	पैरा–5 (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (ए)	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1987 से 03/1989

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–9	अनिर्णीत
5	पैरा–13	अनिर्णीत
6	पैरा–16	अनिर्णीत
7	पैरा–17	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1989 से 03/1994

1	पैरा–5 (ii)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (iii) (जी)	अनिर्णीत
3	पैरा–6	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–11 (i)	अनिर्णीत
6	पैरा–11 (ii)	अनिर्णीत
7	पैरा–11 (iii)	अनिर्णीत
8	पैरा–11 (i) (के)	अनिर्णीत
9	पैरा–11 (i) (के,एच)	अनिर्णीत
10	पैरा–11 (ii)(के)	अनिर्णीत
11	पैरा–11 (iii)(के)	अनिर्णीत
12	पैरा–11 (iv)	अनिर्णीत
13	पैरा–11 (iv)(के)	अनिर्णीत
14	पैरा–11 (iv)(के, एच)	अनिर्णीत

15	पैरा–11 (iv) (जी)	अनिर्णीत
16	पैरा–11 (iv)(जी, एच)	अनिर्णीत
17	पैरा–11 (iv) (ए0एन0जी0)	अनिर्णीत
18	पैरा–11 (v)	अनिर्णीत
19	पैरा–11 (v)(के)	अनिर्णीत
20	पैरा–11 (v)(के,एच)	अनिर्णीत
21	पैरा–11 (v)(जी)	अनिर्णीत
22	पैरा–11 (v)(जी, एच)	अनिर्णीत
23	पैरा–11 (v)(ए, एन, जी)	अनिर्णीत
24	पैरा–11 (vi)(के)	अनिर्णीत
25	पैरा–11 (vi) (के,एच)	अनिर्णीत
26	पैरा–11 (vii)	अनिर्णीत
27	पैरा–11 (vii)(के)	अनिर्णीत
28	पैरा–11 (vii) (के, एच)	अनिर्णीत
29	पैरा–11 (vii)(जी)	अनिर्णीत
30	पैरा–11 (vii)(जी,एच)	अनिर्णीत
31	पैरा–11 (vii) (ए,एन,जी)	अनिर्णीत
32	पैरा–11 (viii)	अनिर्णीत
33	पैरा–11 (xi)	अनिर्णीत
34	पैरा–11 (x) (के)	अनिर्णीत
35	पैरा–11 (x) (के, एच)	अनिर्णीत
36	पैरा–11 (xii)	अनिर्णीत
37	पैरा–11 (xii)(के)	अनिर्णीत
38	पैरा–11 (xii) (के, एच)	अनिर्णीत
39	पैरा–11 (xii)(जी)	अनिर्णीत

40	पैरा–11 (xii)(जी, एच)	अनिर्णीत
41	पैरा–11 (xiii)(के)	अनिर्णीत
42	पैरा–11 (xiii) (के, एच)	अनिर्णीत
43	पैरा–11 (xiii)(जी)	अनिर्णीत
44	पैरा–11 (xiv)	अनिर्णीत
45	पैरा–11 (xv)(के)	अनिर्णीत
46	पैरा–11 (xv)(के, एच)	अनिर्णीत
47	पैरा–11 (xv)(जी)	अनिर्णीत
48	पैरा–11 (xv) (जी,एच)	अनिर्णीत
49	पैरा–11 (xv) (ए0एन0जी)	अनिर्णीत
50	पैरा–11 (xv)(बी)	अनिर्णीत
51	पैरा–11 (xv)(बीी)	अनिर्णीत
52	पैरा–11 (xvi) (k)	अनिर्णीत
53	पैरा–11 (xvi) (kh)	अनिर्णीत
54	पैरा–11 (xvi) (g)	अनिर्णीत
55	पैरा–11 (xvii)	अनिर्णीत
56	पैरा–11 (xviii)	अनिर्णीत
57	पैरा–11 (xix)	अनिर्णीत
58	पैरा–11 (xx)	अनिर्णीत
59	पैरा–11 (xxi) (k)	अनिर्णीत
60	पैरा–11 (xxi) (kh)	अनिर्णीत
61	पैरा–11 (xxi) (g)	अनिर्णीत

62	पैरा–11 (xxi) (gh)	अनिर्णीत
63	पैरा–11 (xxi) (ahg)	अनिर्णीत
64	पैरा–11 (xxi) (ch)	अनिर्णीत
65	पैरा–11 (xxi) (chh)	अनिर्णीत
66	पैरा–11 (xxii) (k)	अनिर्णीत
67	पैरा–11 (xxii) (kh)	अनिर्णीत
68	पैरा–12 (i) (k)	अनिर्णीत
69	पैरा–12 (i) (kh)	अनिर्णीत
70	पैरा–12 (i) (g)	अनिर्णीत
71	पैरा–12 (ii)	अनिर्णीत
72	पैरा–12 (iii)	अनिर्णीत
73	पैरा–12 (iv)	अनिर्णीत
74	पैरा–12 (v)	अनिर्णीत
75	पैरा–12 (vi)	अनिर्णीत
76	पैरा–13	अनिर्णीत
77	पैरा–14	अनिर्णीत
78	पैरा–15 (i)	अनिर्णीत
79	पैरा–15 (iv)	अनिर्णीत
80	पैरा–15 (v)	अनिर्णीत
81	पैरा–15 (vi)	अनिर्णीत
82	पैरा–16 (i)	अनिर्णीत
83	पैरा–16 (iii)(k)	अनिर्णीत
84	पैरा–16 (iii)(kh)	अनिर्णीत
85	पैरा–16 (iii)(g)	अनिर्णीत
86	पैरा–17 (i)	अनिर्णीत
87	पैरा–17 (ii)(Kh)	अनिर्णीत
88	पैरा–18	अनिर्णीत
89	पैरा–18 (k)	अनिर्णीत

90	पैरा–18 (kh)	अनिर्णीत
91	पैरा–19	अनिर्णीत
92	पैरा–20 (1)	अनिर्णीत
93	पैरा–20 (i) (k)	अनिर्णीत
94	पैरा–20 (i) (kh)	अनिर्णीत
95	पैरा–20 (ii) (g)	अनिर्णीत
96	पैरा–20 (iii)	अनिर्णीत
97	पैरा–20 (iv)	अनिर्णीत
98	पैरा–20 (v) (k)	अनिर्णीत
99	पैरा–20 (v) (kh)	अनिर्णीत
100	पैरा–20 (vi)	अनिर्णीत
101	पैरा–20 (vii) (k)	अनिर्णीत
102	पैरा–20 (viii)	अनिर्णीत
103	पैरा–20 (ix)	अनिर्णीत
104	पैरा–20 (ix) (k)	अनिर्णीत
105	पैरा–20 (ix) (kh)	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1994 से 03/1997

1	पैरा 2	अनिर्णीत
2	पैरा 3(ii)	अनिर्णीत
3	पैरा 3(kh)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(kh)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(k)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(kh)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(g)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(gh)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(ng)	अनिर्णीत
10	पैरा 5(ch)	अनिर्णीत
11	पैरा 5(chh)	अनिर्णीत
12	पैरा 5(j)	अनिर्णीत
13	पैरा 5(jh)	अनिर्णीत
14	पैरा 7(ch)	अनिर्णीत
15	पैरा 8(k)	अनिर्णीत
16	पैरा 8(kh)	अनिर्णीत

17	पैरा 9	अनिर्णीत
18	पैरा 10(kh)(i)	अनिर्णीत
19	पैरा 10(kh)(ii)	अनिर्णीत
20	पैरा 10(kh)(iii)	अनिर्णीत
21	पैरा 12	अनिर्णीत
22	पैरा 13	अनिर्णीत
23	पैरा 14	अनिर्णीत
24	पैरा 15(k)	अनिर्णीत
25	पैरा 7(k)	अनिर्णीत
26	पैरा 7(ng)	अनिर्णीत
27	पैरा 15(kh)(i)	अनिर्णीत
28	पैरा 15(kh)(iii)	अनिर्णीत
29	पैरा 15(kh)(iv)	अनिर्णीत
30	पैरा 15(kh)(v)	अनिर्णीत
31	पैरा 15(kh)(vi)	अनिर्णीत
32	पैरा 15(kh)(vii)	अनिर्णीत
33	पैरा 16	अनिर्णीत
34	पैरा 17(k)(i)	अनिर्णीत
35	पैरा 17(k)(ii)	अनिर्णीत
36	पैरा 17(k)(iii)	अनिर्णीत
37	पैरा 17(k)(iv)	अनिर्णीत
38	पैरा 17(kh)(i)	अनिर्णीत
39	पैरा 17(kh)(ii)	अनिर्णीत
40	पैरा 17(kh)(iii)	अनिर्णीत
41	पैरा 17(kh)(iv)	अनिर्णीत
42	पैरा 17(g)(i)	अनिर्णीत
43	पैरा 17(g)(ii)	अनिर्णीत
44	पैरा 17(g)(iii)	अनिर्णीत
45	पैरा 17(gh)(i)	अनिर्णीत
46	पैरा 17(gh)(ii)	अनिर्णीत
47	पैरा 17(gh)(iii)	अनिर्णीत
48	पैरा 17(gh)(iv)	अनिर्णीत
49	पैरा 17(ng)(i)	अनिर्णीत
50	पैरा 17(ang)(ii)	अनिर्णीत

51	पैरा 17(ng)(iii)	अनिर्णीत
52	पैरा 17(ng)(iv)	अनिर्णीत
53	पैरा 17(ng)(v)	अनिर्णीत
54	पैरा 17(ng)(vi)	अनिर्णीत
55	पैरा 17(ch)(i)	अनिर्णीत
56	पैरा 17(ch)(ii)	अनिर्णीत
57	पैरा 17(ch)(iii)	अनिर्णीत
58	पैरा 17(ch)(iv)	अनिर्णीत
59	पैरा 17(chh)(i)	अनिर्णीत
60	पैरा 17(chh)(ii)	अनिर्णीत
61	पैरा 21(k)	अनिर्णीत
62	पैरा 2(kh)	अनिर्णीत
63	पैरा 21(g)	अनिर्णीत
64	पैरा 21(gh)	अनिर्णीत
65	पैरा 22	अनिर्णीत
66	पैरा 24(kh)	अनिर्णीत
67	पैरा 24(g)	अनिर्णीत
68	पैरा 24(j)	अनिर्णीत
69	पैरा 24(yen)	अनिर्णीत
70	पैरा 25	अनिर्णीत
71	पैरा 26(iv)	अनिर्णीत
72	पैरा 26(v)	अनिर्णीत
73	पैरा 26(vi)	अनिर्णीत
74	पैरा 26(vii)	अनिर्णीत
75	पैरा 26(viii)	अनिर्णीत
76	पैरा 26(ix)	अनिर्णीत
77	पैरा 26(x)	अनिर्णीत
78	पैरा 26(xi)	अनिर्णीत
79	पैरा 26(xii)	अनिर्णीत
80	पैरा 26(xiii)	अनिर्णीत
81	पैरा 26(xiv)	अनिर्णीत
82	पैरा 26(xvi)	अनिर्णीत
83	पैरा 26(xvii)	अनिर्णीत
84	पैरा 26(xviii)	अनिर्णीत

85	पैरा 26(ix)	अनिर्णीत
86	पैरा 26(x)	अनिर्णीत
87	पैरा 26(xi)	अनिर्णीत
88	पैरा 26(xii)	अनिर्णीत
89	पैरा 26(xiii)	अनिर्णीत
90	पैरा 26(xiv)	अनिर्णीत
91	पैरा 26(xvi)	अनिर्णीत
92	पैरा 26(xvii)	अनिर्णीत
93	पैरा 26(xviii)	अनिर्णीत
94	पैरा 26(xix)	अनिर्णीत
95	पैरा 26(xx)	अनिर्णीत
96	पैरा 26(xxi)	अनिर्णीत
97	पैरा 26(xxiii)	अनिर्णीत
98	पैरा 26(xxiv)	अनिर्णीत
99	पैरा 28	अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1997 से 03/2005

1	पैरा 3(kh)	अनिर्णीत
2	पैरा 3(gh)(i)	अनिर्णीत
3	पैरा 3(gh)(ii)	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 8(i)	अनिर्णीत
6	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत
7	पैरा 9	अनिर्णीत
8	पैरा 10(i)	अनिर्णीत
9	पैरा 10(k)	अनिर्णीत
10	पैरा 10(kh)	अनिर्णीत
11	पैरा 11(i)	अनिर्णीत
12	पैरा 11(k)	अनिर्णीत
13	पैरा 11(kh)(i)	अनिर्णीत
14	पैरा 11(kh)(ii)	अनिर्णीत
15	पैरा 11(kh)(iii)	अनिर्णीत
16	पैरा 11(kh)(iv)	अनिर्णीत
17	पैरा 11(kh)(v)	अनिर्णीत

18	पैरा 11(kh)(vi)	अनिर्णीत
19	पैरा 11(kh)(vii)	अनिर्णीत
20	पैरा 11(kh)(viii)	अनिर्णीत
21	पैरा 11(kh)(xi)	अनिर्णीत
22	पैरा 11(kh)(x)	अनिर्णीत
23	पैरा 11(kh)(xi)	अनिर्णीत
24	पैरा 11(kh)(xii)	अनिर्णीत
25	पैरा 11(kh)(xiii)	अनिर्णीत
26	पैरा 11(kh)(xiv)	अनिर्णीत
27	पैरा 11(kh)(xv)	अनिर्णीत
28	पैरा 11(kh)(xvi)	अनिर्णीत
29	पैरा 11(kh)(xvii)	अनिर्णीत
30	पैरा 11(kh)(xviii)	अनिर्णीत
31	पैरा 11(kh)(xix)	अनिर्णीत
32	पैरा 11(g)(i)	अनिर्णीत
33	पैरा 11(g)(ii)	अनिर्णीत
34	पैरा 11(chh)	अनिर्णीत
35	पैरा 11(ng)	अनिर्णीत
36	पैरा 11(ch)	अनिर्णीत
37	पैरा 12(i)	अनिर्णीत
38	पैरा 12(ii)	अनिर्णीत
39	पैरा 13	अनिर्णीत
40	पैरा 14	अनिर्णीत
41	पैरा 15	अनिर्णीत
42	पैरा 16	अनिर्णीत
43	पैरा 17	अनिर्णीत
44	पैरा 18(k)	अनिर्णीत
45	पैरा 18(kh)(i)	अनिर्णीत
46	पैरा 18(kh)(ii)	अनिर्णीत
47	पैरा 18(g)(i)	अनिर्णीत
48	पैरा 18(g)(ii)	अनिर्णीत
49	पैरा 18(gh)(i) & (ii)	अनिर्णीत
50	पैरा 18(ng)	अनिर्णीत
51	पैरा 18(ch)	अनिर्णीत
52	पैरा 18(chh)(i)	अनिर्णीत

53	पैरा 18(chh)(ii)	अनिर्णीत
54	पैरा 18(j)	अनिर्णीत
55	पैरा 18(j)(i)	अनिर्णीत
56	पैरा 18(nh)	अनिर्णीत
57	पैरा 18(t)(i)	अनिर्णीत
58	पैरा 18(t)(ii)	अनिर्णीत
59	पैरा 18(th)	अनिर्णीत
60	पैरा 18(dh)(i)	अनिर्णीत
61	पैरा 18(dh)(ii)	अनिर्णीत
62	पैरा 18(dh)(iii)	अनिर्णीत
63	पैरा 18(adn)(i)	अनिर्णीत
64	पैरा 18(dn)(ii)	अनिर्णीत
65	पैरा 18(dn)(iii)	अनिर्णीत
66	पैरा 18(nh)(i)	अनिर्णीत
67	पैरा 18(nh)(ii)	अनिर्णीत
68	पैरा 18(t)	अनिर्णीत
69	पैरा 18(n)	अनिर्णीत
70	पैरा 18(p)	अनिर्णीत
71	पैरा 18(ph)	अनिर्णीत
72	पैरा 18(b)	अनिर्णीत
73	पैरा 19(kh)	अनिर्णीत
74	पैरा 19(g)	अनिर्णीत
75	पैरा 19(gh)(i)	अनिर्णीत
76	पैरा 19(gh)(ii)	अनिर्णीत
77	पैरा 19(gh)(iii)	अनिर्णीत
78	पैरा 19(ng)	अनिर्णीत
79	पैरा 19(ch)	अनिर्णीत
80	पैरा 19(chh)(i)	अनिर्णीत
81	पैरा 19(chh)(ii)	अनिर्णीत
82	पैरा 19(chh)(iii)	अनिर्णीत
83	पैरा 19(chh)(iv)	अनिर्णीत
84	पैरा 19(j)(i)	अनिर्णीत
85	पैरा 19(j)(ii)	अनिर्णीत
86	पैरा 19(j)(iii)	अनिर्णीत

87	पैरा 19(jh)	अनिर्णीत
88	पैरा 19(jh)(ii)	अनिर्णीत
89	पैरा 19(jh)(iii)	अनिर्णीत
90	पैरा 20(k)	अनिर्णीत
91	पैरा 20(kh)	अनिर्णीत
92	पैरा 20(g)	अनिर्णीत
93	पैरा 20(gh)	अनिर्णीत
94	पैरा 20(ch)	अनिर्णीत
95	पैरा 20(ch)(i)	अनिर्णीत
96	पैरा 20(ch)(ii)	अनिर्णीत
97	पैरा 20(ch)(iii)	अनिर्णीत
98	पैरा 20(ch)(iv)	अनिर्णीत
99	पैरा 20(ch)(v)	अनिर्णीत
100	पैरा 20(ch)(vi)	अनिर्णीत
101	पैरा 20(ch)(vii)	अनिर्णीत
102	पैरा 21(i)	अनिर्णीत
103	पैरा 21(ii)	अनिर्णीत
104	पैरा 22(kh)	अनिर्णीत
105	पैरा 22(g)	अनिर्णीत
106	पैरा 23(k)	अनिर्णीत
107	पैरा 23(kh)	अनिर्णीत
108	पैरा 23(g)	अनिर्णीत
109	पैरा 23(gh)(i)	अनिर्णीत
110	पैरा 23(ch)(i)	अनिर्णीत
111	पैरा 23(chh)	अनिर्णीत
112	पैरा 23(j)	अनिर्णीत
113	पैरा 23(jh)	अनिर्णीत
114	पैरा 23(anh)	अनिर्णीत
115	पैरा 23(t)	अनिर्णीत
116	पैरा 24(k)	अनिर्णीत
117	पैरा 24(kh)	अनिर्णीत
118	पैरा 24(g)	अनिर्णीत
119	पैरा 25(i)	अनिर्णीत
120	पैरा 25(iii)	अनिर्णीत

121	पैरा 26(k)	अनिर्णीत
122	पैरा 26(kh)	अनिर्णीत
123	पैरा 26(g)	अनिर्णीत
124	पैरा 26(gh)	अनिर्णीत
125	पैरा 26(ng)	अनिर्णीत
126	पैरा 26(बी)	अनिर्णीत
127	पैरा 26(बी)	अनिर्णीत
128	पैरा 27	अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2007

1	पैरा 2	अनिर्णीत
2	पैरा 4(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(सी)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(डी)	अनिर्णीत
5	पैरा 4(डी)(i)	अनिर्णीत
6	पैरा 4(एफ)	अनिर्णीत
7	पैरा 4(जी)	अनिर्णीत
8	पैरा 6(i)	अनिर्णीत
9	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत
10	पैरा 6(iv)	अनिर्णीत
11	पैरा 6(vi)	अनिर्णीत
12	पैरा 6(X)(इ)	अनिर्णीत
13	पैरा 6(xi)	अनिर्णीत
14	पैरा 6(xii)	अनिर्णीत
15	पैरा 6(xiii)	अनिर्णीत
16	पैरा 7(i)	अनिर्णीत
17	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
18	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
19	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत
20	पैरा 7(v)	अनिर्णीत
21	पैरा 8(i)	अनिर्णीत
22	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत

(12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2010

1	पैरा 4.3	अनिर्णीत
2	पैरा 4.4	अनिर्णीत
3	पैरा 4.5	अनिर्णीत

4	पैरा 5	अनिर्णीत
5	पैरा 6.1	अनिर्णीत
6	पैरा 6.2	अनिर्णीत
7	पैरा 6.2.1	अनिर्णीत
8	पैरा 6.2.2	अनिर्णीत
9	पैरा 6.5	अनिर्णीत
10	पैरा 6.7	अनिर्णीत
11	पैरा 6.8	अनिर्णीत
12	पैरा 6.10	अनिर्णीत
13	पैरा 6.11	अनिर्णीत
14	पैरा 7	अनिर्णीत
15	पैरा 7, 7.1.1 & 7.1.2	अनिर्णीत
16	पैरा 7.2 to 7.2.3	अनिर्णीत
17	पैरा 7.3	अनिर्णीत
18	पैरा 8.1	अनिर्णीत
19	पैरा 8.3	अनिर्णीत
20	पैरा 8.3.1	अनिर्णीत
21	पैरा 8.3.2	अनिर्णीत
22	पैरा 8.4	अनिर्णीत
23	पैरा 8.5	अनिर्णीत
24	पैरा 8.6	अनिर्णीत
25	पैरा 8.7	अनिर्णीत
26	पैरा 8.8	अनिर्णीत
27	पैरा 8.9	अनिर्णीत
28	पैरा 8.9.1	अनिर्णीत
29	पैरा 8.9.2	अनिर्णीत
30	पैरा 8.9.4	अनिर्णीत
31	पैरा 8.10	अनिर्णीत
32	पैरा 9	अनिर्णीत
33	पैरा 9.3	अनिर्णीत
34	पैरा 10	अनिर्णीत
35	पैरा 10.2	अनिर्णीत
36	पैरा 11.1	अनिर्णीत

(13) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2015

1	पैरा—4.4	अनिर्णीत
2	पैरा—5.2	अनिर्णीत

3	पैरा–11	अनिर्णीत	
4	पैरा–12	अनिर्णीत	
5	पैरा–13	अनिर्णीत	
6	पैरा–15	अनिर्णीत	
7	पैरा–16	आंशिक अनिर्णीत	(रसीद संख्या 0140 / 0077 दिनांक 08.09.2022 तथा 0140 / 0081 दिनांक 08.09.2022 द्वारा क्रमशः श्री रमेश एवं श्री सुरेश प्रत्येक से ₹704 की वसूली की मूल अभिलेख से सत्यापन के उपरान्त आंशिक रूप से निर्णीत)
8	पैरा–17	अनिर्णीत	
9	पैरा–18	अनिर्णीत	
10	पैरा–19.3	अनिर्णीत	
11	पैरा–20	अनिर्णीत	
12	पैरा–21	अनिर्णीत	
13	पैरा–22	अनिर्णीत	
14	पैरा–23	निर्णीत	(रसीद संख्या 0140 / 0027 दिनांक 25.08.2022 द्वारा ₹462 की वसूली की मूल अभिलेख से सत्यापन के उपरान्त)
15	पैरा–24	अनिर्णीत	
16	पैरा–25	अनिर्णीत	
17	पैरा–26	अनिर्णीत	
18	पैरा–27	निर्णीत	(रसीद संख्या 0140 / 0028 दिनांक 25.08.2022 द्वारा ₹266 की वसूली की मूल अभिलेख से सत्यापन के उपरान्त)
19	पैरा–28	अनिर्णीत	

20	पैरा—29	अनिर्णीत	
21	पैरा—30	अनिर्णीत	
22	पैरा—31	अनिर्णीत	
23	पैरा—32	अनिर्णीत	
24	पैरा—33	अनिर्णीत	
25	पैरा—34	अनिर्णीत	
26	पैरा—35	अनिर्णीत	
27	पैरा—36	अनिर्णीत	
28	पैरा—37	अनिर्णीत	
29	पैरा—38	अनिर्णीत	
30	पैरा—40	अनिर्णीत	
31	पैरा—43	अनिर्णीत	

(14) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2017

1	पैरा—11	अनिर्णीत	
2	पैरा—14	अनिर्णीत	
3	पैरा—16 (ii)	निर्णीत	(रसीद संख्या 0120/0057 दिनांक 06.10.2021 द्वारा ₹668 की वसूली की मूल अभिलेख से सत्यापन के उपरान्त)
4	पैरा—17	अनिर्णीत	
5	पैरा—18	निर्णीत	(रसीद संख्या 0140/0032 दिनांक 26.08.2022 द्वारा ₹90 की वसूली की मूल अभिलेख से सत्यापन के उपरान्त)
6	पैरा—19	निर्णीत	(यह पैरा संस्था में उपलब्ध मूल प्रतिवेदन में अनिर्णीत पाया गया तथा अंकेक्षण के दौरान रसीद संख्या 0140/0033 दिनांक 26.08.2022 द्वारा ₹430 की वसूली की मूल अभिलेख से सत्यापन के उपरान्त

			निर्णीत किया गया)
7	पैरा–20	निर्णीत	(यह पैरा संस्था में उपलब्ध मूल प्रतिवेदन में अनिर्णीत पाया गया तथा अंकेक्षण के दौरान रसीद संख्या 0140/0034 दिनांक 26.08.2022 द्वारा ₹835 की वसूली की मूल अभिलेख से सत्यापन के उपरान्त निर्णीत किया गया)
8	पैरा–21	अनिर्णीत	

(15) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 03/2019

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क अदा किये जाने के फलस्वरूप निर्णीत)
2	पैरा–4	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन स्थिति शामिल किये जाने के दृष्टिगत)
3	पैरा–5	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन स्थिति शामिल किये जाने के दृष्टिगत)
4	पैरा–6	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन स्थिति शामिल किये जाने के दृष्टिगत)
5	पैरा–7	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन स्थिति शामिल किये जाने के दृष्टिगत)
6	पैरा–8	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन स्थिति शामिल किये जाने के दृष्टिगत)
7	पैरा–9	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन स्थिति शामिल किये जाने के दृष्टिगत)
8	पैरा–9.1	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन स्थिति शामिल किये जाने के दृष्टिगत)
9	पैरा–9.2	अनिर्णीत	
10	पैरा–9.3	अनिर्णीत	
11	पैरा–9.4	अनिर्णीत	

12	पैरा–9.5	अनिर्णीत	
13	पैरा–9.6	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन स्थिति शामिल किये जाने के दृष्टिगत)
14	पैरा–9.7	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन स्थिति शामिल किये जाने के दृष्टिगत)
15	पैरा–10.1	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन स्थिति शामिल किये जाने के दृष्टिगत)
16	पैरा–10.2	अनिर्णीत	
17	पैरा–10.3	अनिर्णीत	
18	पैरा–10.4	अनिर्णीत	
19	पैरा–10.5	अनिर्णीत	
20	पैरा–10.6	अनिर्णीत	
21	पैरा–11	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन स्थिति शामिल किये जाने के दृष्टिगत)
22	पैरा–12	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन स्थिति शामिल किये जाने के दृष्टिगत)
23	पैरा–13	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन स्थिति शामिल किये जाने के दृष्टिगत)
24	पैरा–14	अनिर्णीत	
25	पैरा–15	अनिर्णीत	
26	पैरा–16	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन स्थिति शामिल किये जाने के दृष्टिगत)
27	पैरा–17	अनिर्णीत	
28	पैरा–17.1	अनिर्णीत	

29	पैरा–17.2	अनिर्णीत	
30	पैरा–18	अनिर्णीत	
31	पैरा–19.1	अनिर्णीत	
32	पैरा–19.2	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या ....में श्री राम करण, कनिष्ठ सहायक से पूर्ण वसूली योग्य राशि को सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत)
33	पैरा–20	अनिर्णीत	
34	पैरा–20.1	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन स्थिति शामिल किये जाने के दृष्टिगत)
35	पैरा–21	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन स्थिति शामिल किये जाने के दृष्टिगत)
36	पैरा–22	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन स्थिति शामिल किये जाने के दृष्टिगत)
37	पैरा–23	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन स्थिति शामिल किये जाने के दृष्टिगत)
38	पैरा–24	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन स्थिति शामिल किये जाने के दृष्टिगत)

अनिर्णीत पैरों का सार	
प्रारम्भिक शेष	489
जमा :– गत प्रतिवेदन में दशम्रय निर्णीत पैरे जोकि वास्तव में वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किये गये (4/2015 से 3/2017 प्रतिवेदन के पैरा संख्या 19 व 20)	2
जमा :–गत प्रतिवेदन 4/2017 से 3/2019 के उक्त तालिका अनुसार पैरों की संख्या कम दर्शाने से अन्तर (38–21)	17
जमा :–वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल पैरों की संख्या	55
योग	563
घटाः– वर्तमान अंकेक्षण के निर्णीत पैरों की संख्या	27
अन्तिम शेष	536